एम.पी.पी.सी.एस. (प्रारंभिक) परीक्षा, 2019

(महत्त्वपूर्ण अध्ययन सामग्री)

राज्य विशेष एवं अधिनियम

641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
दूरभाष : 8750187501, 011-47532596
टोल फ्री : 1800-121-6260
Web : www.drishtiIAS.com
E-mail : online@groupdrishti.com

पाठ्यक्रम, नोट्स तथा बैच संबंधी updates निरंतर पाने के लिए निम्नलिखित पेज को "like" करें
: facebook.com/drishtithevisionfoundation : twitter.com/drishtiias
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com

मध्य प्रदेश : सामान्य परिचय
(Madhya Pradesh : General Introduction)

- राज्य का नाम- **मध्य प्रदेश**
- राज्य का अन्य नाम- **हृदय प्रदेश, सोया प्रदेश**
- राज्य की भौगोलिक स्थिति-**21° 06' से 26° 30' उत्तरी अक्षांश एवं 74°9' से 82° 48' पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है।**
- राज्य का क्षेत्रफल- **3,08,252 वर्ग किमी.**
- उत्तर से दक्षिण की लंबाई- **605 किमी.**
- पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई- **870 किमी.**
- राज्य की सीमा से लगे राज्य- **5, [उ.प्र. (उत्तर-पूर्व), महाराष्ट्र (दक्षिण-पश्चिम), छत्तीसगढ़ (दक्षिण-पूर्व), राजस्थान (उत्तर-पश्चिम) एवं गुजरात (पश्चिम)]**
- राज्य की अधिकतम सीमा से मिलने वाला राज्य-**उत्तर प्रदेश**
- राज्य की न्यूनतम सीमा से मिलने वाला राज्य- **गुजरात**
- राज्य के मध्य से गुज़रने वाली रेखा- **कर्क रेखा (14 ज़िलों) से गुज़रती है।**
- भारत के कुल क्षेत्र में मध्य प्रदेश का प्रतिशत-**9.38%**
- राजकीय चिह्न- **24 स्तूप आकृति के अंदर एक वृत्त, जिसमें गेहूँ और धान की बालियाँ हैं।**
- राजकीय पुष्प- **पलाश**
- राजकीय वृक्ष- **बरगद (वट वृक्ष)**
- राजकीय पशु- **बारहसिंगा**
- राजकीय पक्षी- **दूधराज (एशियन पैराडाइज़ फ्लाई कैचर) इसे शाहे बुलबुल के नाम से भी जाना जाता है।**
- राजकीय नदी- **नर्मदा**
- राजकीय नाट्य- **माच**
- राजकीय नृत्य- **राई**
- राजकीय गान- **मेरा मध्य प्रदेश है। (महेश श्रीवास्तव द्वारा लिखित)**
- राजकीय खेल- **मलखंब**
- राजकीय मछली- **महाशीर**
- राजकीय फसल- **सोयाबीन**
- राजकीय भाषा- **हिन्दी**
- राज्य का स्थापना वर्ष- **1 नवंबर, 1956 (वर्तमान स्वरूप- 1 नवंबर, 2000)**
- राज्य की विधायिका- **एक सदनीय**
- विधानसभा सदस्यों की संख्या- **231 [230 + (1) एंग्लो-इंडियन सदस्य]**
- विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित सीटों की संख्या- **35**
- विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित सीटों की संख्या- **47**
- लोकसभा में सदस्यों की संख्या- **29**
- राज्यसभा हेतु सीटें- **11**
- अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित लोकसभा क्षेत्र- **4**
- अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित लोकसभा क्षेत्र- **6**
- ज़िलों की संख्या- **52**
- संभागों की संख्या- **10**
- विकासखंड- **313**
- तहसील- **368**
- नगर/शहर- **476**
- नगर निगम- **16**
- नगरपालिका- **100**
- नगर पंचायत (परिषद)- **264**
- ज़िला पंचायत- **51**
- ग्राम पंचायत- **23,006**
- आदिवासी विकासखंड- **89**
- राज्य का उच्च न्यायालय- **जबलपुर**
- उच्च न्यायालय की खंडपीठ- **इंदौर, ग्वालियर**
- राज्य की कुल जनसंख्या- **7, 26, 26, 809**
  - पुरुष जनसंख्या- **3, 76, 12, 306**
  - महिला जनसंख्या- **3, 50, 14, 503**
- ग्रामीण जनसंख्या- **5, 25, 57, 404**
  - ग्रामीण पुरुष- **2, 71, 49, 388**
  - ग्रामीण महिला- **2, 54, 08, 016**
- शहरी जनसंख्या- **200, 69, 405**
  - शहरी पुरुष- **1, 04, 62, 918**
  - शहरी महिला- **96, 06, 487**

प्रदेश की भौगोलिक एवं अन्य विशेषताएँ

- राज्य का सबसे ऊँचा स्थान- **धूपगढ़ पहाड़ी**
- राज्य का सबसे नीचा स्थान- **नर्मदा घाटी**
- सर्वाधिक गर्म स्थान- **खजुराहो**
- सबसे ठंडा स्थान- **शिवपुरी**
- सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान- **कान्हा किसली**

- सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान- **फासिल (डिंडोरी)**
- सर्वाधिक कुपोषित ज़िला- **श्योपुर**
- सबसे कम कुपोषित ज़िला- **भोपाल**
- सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग- **NH–3**
- सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग- **NH–76**
- सर्वाधिक जनघनत्व वाला ज़िला- **भोपाल (855 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी)**
- सबसे विरल जनघनत्व वाला ज़िला- **डिंडोरी (94 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी.)**
- सर्वाधिक सघन आबादी वाला संभाग- **इंदौर**
- सर्वाधिक कम आबादी वाला संभाग- **शहडोल**
- क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला- **छिंदवाड़ा**
- क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा ज़िला- **दतिया/भोपाल**
- जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला- **इंदौर**
- जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा ज़िला- **हरदा**
- प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला ज़िला- **बालाघाट (1021)**
- प्रदेश का सबसे कम लिंगानुपात वाला ज़िला- **भिंड (837)**
- सबसे बड़ा वन क्षेत्र- **खंडवा**
- सबसे छोटा वन क्षेत्र- **शाजापुर**
- राज्य का सर्वाधिक साक्षर ज़िला- **जबलपुर (81.01%)**
- राज्य का सबसे कम साक्षर ज़िला- **अलीराजपुर (36.1%)**
- प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति- **भील**
- प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन- **इटारसी**
- सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला ज़िला- **इंदौर**
- सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला ज़िला- **भोपाल**
- प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला भंडार क्षेत्र- **सोहागपुर**
- प्रदेश की सबसे बड़ी नदी- **नर्मदा नदी (1312 किमी.)**
- प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील (क्षेत्र)- **इंदौर**
- प्रदेश की सबसे छोटी तहसील (क्षेत्र)- **अजयगढ़ (पन्ना)**

प्रदेश में प्रथम

- प्रथम राज्यपाल- **डॉ. बी. पट्टाभि सीतारमैया**
- प्रथम महिला राज्यपाल- **सुश्री सरला ग्रेवाल**
- प्रथम मुख्यमंत्री- **पं. रविशंकर शुक्ला**
- प्रथम महिला मुख्यमंत्री- **सुश्री उमा भारती**
- प्रथम विधानसभा अध्यक्ष- **पं. कुंजीलाल दुबे**
- प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष- **विष्णु विनायक सरवटे**
- प्रथम विपक्ष का नेता- **श्री विष्णुनाथ यादवराव तामस्कर**
- उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश- **मोहम्मद हिदायतुल्ला**
- प्रथम महिला न्यायाधीश- **श्रीमती सरोजनी सक्सेना**
- प्रथम मुख्य सचिव- **श्री एच.एस. कामथ**
- प्रथम निर्वाचन आयुक्त- **एन.बी. लोहानी**
- प्रथम लोकायुक्त- **पी.वी. दीक्षित**
- प्रथम राज्य सूचना आयुक्त- **टी.एन. श्रीवास्तव**
- प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष- **डॉ. सवाई सिंह सिसौदिया**
- प्रथम विपक्ष की महिला नेता- **जमुना देवी**
- प्रथम नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्तकर्त्ता व्यक्ति- **कैलाश सत्यार्थी**
- प्रदेश का प्रथम परमाणु बिजली घर- **चुटका गाँव (मंडला)**
- प्रदेश का पहला आई.टी. पार्क- **भोपाल**
- प्रदेश का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल- **भोपाल**
- प्रदेश का पहला शिल्प ग्राम- **छतरपुर**
- प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय- **जबलपुर**
- प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय- **डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (1946)**
- पहला ISO प्रमाणित एस.पी. कार्यालय- **देवास**
- प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान- **कान्हा किसली**
- प्रदेश का प्रथम ड्राई पोर्ट- **पीथमपुर**
- प्रदेश की प्रथम खुली जेल- **नवजीवन आश्रम (होशंगाबाद)**
- प्रदेश का पहला सूचना प्रौद्योगिकी (IT) विश्वविद्यालय- **ग्वालियर**
- प्रदेश की प्रथम DNA प्रयोगशाला- **सागर**
- प्रदेश का जड़ी-बूटी बैंक- **पनार पानी (पंचमढ़ी)**

भारत में प्रथम मध्य प्रदेश

- देश की सबसे बड़ी मस्जिद- **ताज-उल-मस्जिद (भोपाल)**
- देश में ऑप्टिकल फाइबर की सर्वप्रथम स्थापना- **मंडीदीप (भोपाल)**
- सर्वप्रथम ग्राम स्वराज व्यवस्था स्थापित करने वाला राज्य- **मध्य प्रदेश**
- देश में हीरा उत्पादन करने वाला भारत का प्रथम राज्य- **मध्य प्रदेश**
- भारत का प्रथम घोषित पर्यटन नगर- **शिवपुरी**
- देश का पहला माइक्रोचिप बनाने का कारखाना- **भोपाल**
- भारत का पहला मलखंब अकादमी स्थापित करने वाला राज्य- **उज्जैन (मध्य प्रदेश)**
- डी.एन.ए. टेस्ट (बाघों का) कराने वाला पहला राज्य- **मध्य प्रदेश (सतपुड़ा टाइगर रिज़र्व)**

- देश का पहला गौ अभयारण्य स्थापित करने वाला राज्य- **आगर मालवा (मध्य प्रदेश)**
- ISO 9001 : 2008 का अवार्ड पाने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान- **वन विहार (भोपाल)**
- कृषि आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य- **मध्य प्रदेश**
- देश का सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादित करने वाला राज्य- **मध्य प्रदेश**
- देश का एकमात्र मानव संग्रहालय स्थापित करने वाला राज्य- **भोपाल (मध्य प्रदेश)**
- देश में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के आधार पर प्रथम राज्य- **मध्य प्रदेश**
- वनों का पूर्ण राष्ट्रीयकरण करने वाला देश का प्रथम राज्य- **मध्य प्रदेश**
- एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र- **उज्जैन**
- एशिया का प्रथम शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय- **ग्वालियर (लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट/यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजूकेशन)**
- एशिया का प्रथम लेसर अनुसंधान केंद्र- **इंदौर (मध्य प्रदेश)**
- बब्बर शेर हेतु तैयार अभयारण्य- **कूनों पालपुर (मध्य प्रदेश)**
- भारत में संगमरमर की प्रथम इमारत- **होशंगशाह का मकबरा, धार (मध्य प्रदेश)**
- प्रदेश का **52वाँ,** ज़िला **निवाड़ी** है, जो ज़िला टीकमगढ़ को पृथक् कर बनाया गया।
- 1 अक्टूबर, 2018 को टीकमगढ़ ज़िले की निवाड़ी तहसील मध्य प्रदेश के 52वें ज़िलें के रूप में अस्तित्व में आ गई है।
- मध्य प्रदेश के **राजकीय गान के रचनाकार 'श्री महेश श्रीवास्तव जी' हैं।**
- मध्य प्रदेश के **14 ज़िले उत्तर प्रदेश की** सीमाओं से मिलते हैं।
- मध्य प्रदेश का सैनिक स्कूल **रीवा** में स्थित है।

मध्य प्रदेश की प्रशासनिक संरचना

संभाग	ज़िला	महत्त्वपूर्ण तथ्य
(1) भोपाल	(i) भोपाल	मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल झीलों एवं पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसे 'झीलों और पहाड़ों का शहर' भी कहा जाता है। यहाँ राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, वल्लभ भवन, आपदा प्रबंधन संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट इत्यादि स्थित हैं।
	(ii) सीहोर	सीहोर के 'बरलाई' में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सहकारी शक्कर कारखाना एवं 'बुधनी' में रेलवे स्लीपर का कारखाना है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी विधानसभा से ही निर्वाचित हुए। सीहोर के दशहरा मैदान में कुँवर चैन सिंह की छतरी, 24 जून, 1824 में नरसिंहगढ़ के युवराज कुँवर चैन सिंह और अंग्रेज़ एजेंट मेडॉक के मध्य हुए भीषण युद्ध से जुड़ी हुई है। सारू-मारू की गुफाएँ यहीं स्थित हैं।
	(iii) रायसेन	विश्व प्रसिद्ध साँची का स्तूप एवं भीमबेटका की गुफा, बादल महल, इत्रदार महल यहीं स्थित हैं। मंडीदीप प्रमुख औद्योगिक केंद्र इसी ज़िले में हैं। देश का पहला ऑप्टिकल फाइबर कारखाना मंडीदीप ज़िला (रायसेन) में है। रायसेन के कुमरागाँव से बेतवा नदी का उद्गम होता है।
	(iv) राजगढ़	राजगढ़ (ब्यावरा) के चिड़ी-खो नामक स्थान को 'मालवा का कश्मीर' कहा जाता है। गिन्नौरगढ़ का किला, नरसिंहगढ़ वन्यजीव अभयारण्य यहीं स्थित है। कालीसिंध, अजनार, गढ़गंगा इत्यादि नदियाँ यहीं से प्रवाहित होती हैं।
	(v) विदिशा	इसका प्राचीन नाम भेलसा, बेसनगर था। यहाँ पर सर्वाधिक चने का उत्पादन होता है। बेसनगर में गरुड़ स्तंभ अभिलेख, उदयगिरि की गुफाएँ (जहाँ विष्णु की वराह अवतार की प्रतिमा है।) विदिशा में ही स्थित हैं। विदिशा की हलाली नदी पर सम्राट अशोक सागर बहु-उद्देशीय सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है। यहीं पर सिंध व सिरोंज नदी का उद्गम स्रोत है।

(2) जबलपुर	**(i) जबलपुर**	यह त्रिपुरी और महाकौशल के नाम से प्रसिद्ध है। इसे मध्य प्रदेश की 'संस्कार राजधानी' भी कहा जाता है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय एवं पहला रत्न परिष्कृत केंद्र जबलपुर में ही स्थित है। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का मुख्यालय जबलपुर में है। हैवी व्हीकल कारखाना, गन कैरेज फैक्टरी व ऑर्डनेंस फैक्टरी, जबलपुर भेड़ाघाट, धुआँधार जलप्रपात यहीं स्थित हैं। गुप्तकालीन विष्णु मंदिर तिगवा भी यहीं पर स्थित है। यहीं पर स्थित बरगी नदी पर रानी अवंतिबाई जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है।
	(ii) कटनी	संगमरमर नगरी के नाम से विख्यात, 28 मई, 1998 को जबलपुर ज़िले को विभाजित करके गठित किया गया। यहाँ पर चूना पत्थर, डोलोमाइट, बॉक्साइट, फायर क्ले आदि खनिजों की उपलब्धता है। ए.सी.सी. सीमेंट कारखाना यहीं पर स्थित है। अबुल फज़ल द्वारा वर्णित बिल्हारी पान कटनी में ही पाया जाता है।
	(iii) नरसिंहपुर	एक जाट सरदार द्वारा विशाल नरसिंह मंदिर निर्माण करवाने के कारण इस ज़िले का नाम नरसिंहपुर रखा गया। प्रदेश में अरहर दाल के उत्पादन में इस ज़िले का प्रथम स्थान है। यह हिन्दी भाषी क्षेत्र का पहला पूर्णत: साक्षर ज़िला है। चौरगढ़ का किला तथा झोटेश्वर (जोटेश्वर) आश्रम यहीं पर स्थित है।
	(iv) छिंदवाड़ा	प्राचीन काल में इस क्षेत्र में राष्ट्रकूटों का शासन था। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला है। एग्रो कॉम्पलेक्स, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, देश का पहला मसाला पार्क, बोरगाँव-खाद्य पार्क, बादल भोई आदिवासी म्यूज़ियम यहीं अवस्थित हैं। कान्हन, पेंच, जाम, शक्कर व दूधी आदि नदियाँ इस ज़िले से प्रवाहित होती हैं।
	(v) सिवनी	इसका सिवनी नाम **'सेवन'** नामक वृक्ष के बहुतायत में पाए जाने के कारण पड़ा। सिवनी के मुंदारा क्षेत्र में वैनगंगा नदी का उद्गम स्थल है। मध्य प्रदेश का वन विद्यालय भी इसी ज़िले में स्थित है।
	(vi) मंडला	इस ज़िले में अधिकतम जनसंख्या गोंड जनजाति की है। मंडला का दुर्ग, मोती महल व बघेलिन महल मंडला में ही स्थित है। थावर परियोजना यहीं स्थित है। प्रदेश का प्रथम व सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान 'कान्हा किसली' मंडला ज़िले में ही स्थित है।
	(vii) बालाघाट	बालाघाट वैनगंगा घाटी तथा सतपुड़ा पर्वत के मध्य स्थित है। यह ज़िला महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ से सीमा बनाता है। मलाजखंड से तांबा का निष्कासन होता है तथा भर्वेली से मैंगनीज़ का उत्पादन किया जाता है। प्रदेश का यह ज़िला सर्वाधिक खनिज संपन्न है। किरनारपुर बालाघाट का औद्योगिक विकास केंद्र है। फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज बालाघाट में स्थित है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला ज़िला (1000:1021) बालाघाट ही है।
	(viii) डिंडोरी	डिंडोरी ज़िला नर्मदा नदी के किनारे बसा है। 25 मई, 1998 को इसे मंडला ज़िले से अलग करके बनाया गया था। इस ज़िले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान घुघवा स्थित है।

(3) इंदौर	**(i) इंदौर**	इंदौर का पूर्व नाम इंद्रपुर, इंदुर, अहिल्यानगरी तथा इंद्रेश्वर था। जैविक खाद इकाई, मानसिक चिकित्सा संस्थान, मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोग, वित्त निगम का मुख्यालय, पुलिस रेडियो प्रशिक्षण स्कूल, केंद्रीय पुरातात्त्विक संग्रहालय, एपरेल पार्क, आई.आई.टी. और आई.आई.एम. इंदौर में स्थापित हैं। गेहूँ शोध संस्थान भी इंदौर में है। यहाँ पर स्थित गोम्मटगिरि जैन तीर्थ स्थल काफी प्रसिद्ध है।
	(ii) धार	प्रमुख औद्योगिक केंद्र पीथमपुर यहीं अवस्थित है। बाघ की गुफाएँ, धार का किला, भोजशाला मस्जिद, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, सरदारपुर वन्यजीव अभयारण्य (खरमौर पक्षी) धार ज़िले में है। धार ज़िले में ही 'सिटी ऑफ ज्वॉय' कहा जाने वाला मांडू भी स्थित है। यहाँ मांडू रानी रूपमती का महल, होशंगशाह का मकबरा, हिंडोला महल, जहाज़ महल अशर्फी महल प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं।
	(iii)अलीराजपुर	17 मई, 2008 को झाबुआ ज़िले को विभाजित कर अलीराजपुर का गठन किया गया। देश व प्रदेश का सबसे कम साक्षरता वाला ज़िला अलीराजपुर ही है। यहाँ पर भीलों द्वारा प्रसिद्ध भगोरिया मेले का आयोजन किया जाता है। ग्राम भाबरा में शहीद स्वतंत्रता सेनानी पं. चंद्रशेखर आज़ाद की जन्म स्थली है। कट्टीवाड़ा मयूर अभयारण्य अलीराजपुर में ही स्थित है।
	(iv) झाबुआ	यह जनजातीय बाहुल्य ज़िला है, यहाँ पर भील जनजाति अधिक संख्या में पाई जाती है। झाबुआ के मेघनगर में औद्योगिक विकास केंद्र स्थित है। झाबुआ ज़िले की सीमा गुजरात से मिलती है। प्रदेश का पहला आवासीय विद्यालय झाबुआ में ही स्थापित किया गया है।
	(v) खरगौन (पश्चिमी निमाड़)	इस ज़िले को निमाड़ नाम से भी जाना जाता है। यह कपास उत्पादन करने वाला ज़िला है। यहाँ प्रतिवर्ष सिंगाजी का मेला लगता है। मूँगफली का सर्वाधिक उत्पादन इसी ज़िले में होता है। इस ज़िले के देजला देवड़ा बांध कुंडा नदी पर निर्मित मिट्टी का बांध है। कपास अनुसंधान केंद्र तथा सी.आई.एस.एफ. का प्रशिक्षण केंद्र यहीं स्थित है।
	(vi) खंडवा (पूर्वी निमाड़)	यह ज़िला नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, जो महान पार्श्वगायक किशोर कुमार की जन्मस्थली तथा माखनलाल चतुर्वेदी की कर्मस्थली है। कपास उत्पादन के कारण इसे 'सुनहरा ज़िला' भी कहा जाता है। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान यहीं स्थित है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर यहीं है। यह प्रदेश का प्रमुख गाँजा उत्पादक ज़िला है।
	(vii) बड़वानी	25 मई, 1998 को खरगौन को विभाजित कर इस ज़िले की स्थापना की गई। यहाँ सर्वाधिक लाल मिर्च का उत्पादन होता है, साथ ही कपास की प्रसिद्ध मंडी सेंधवा यहीं स्थित है।
	(viii) बुरहानपुर	बुरहानपुर ताप्ती नदी के तट पर स्थित है (दक्षिण का द्वार)। बुरहानपुर में ही असीरगढ़ का किला है। इस किले को दक्कन का दरवाज़ा भी कहा जाता है। यहाँ मुमताज बेगम की कब्र है। नेशनल न्यूज़ प्रिंट कारखाना **नेपानगर** (बुरहानपुर) में ही स्थित है। चाँदनी ताप विद्युत केंद्र भी इसी ज़िले में स्थित है।

(4) ग्वालियर	**(i) ग्वालियर**	इसका प्राचीन नाम गोपाचल, गोपगिरी, गोप पर्वत या गोपाद्रि है। इसे तानसेन नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है। ग्वालियर में एशिया का प्रथम शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, राजस्व मुख्यालय एवं महालेखागार का कार्यालय, विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। यहाँ पर स्थित तानसेन का मकबरा, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, जयविलास पैलेस, मुहम्मद गौस का मकबरा, गूजरीमहल, सास-बहू मंदिर व तेली का मंदिर, मोती महल आदि दर्शनीय स्थल हैं। गैस आधारित पहला विद्युत गृह ग्वालियर के भांडेर में स्थापित किया जा रहा है।
	(ii) शिवपुरी	शिवपुरी को 'पर्यटन की नगरी' कहा जाता है। अप्रैल 1859 में तात्या टोपे को यहीं फाँसी दी गई थी। प्रदेश भर में यह न्यूनतम तापमान वाला ज़िला है। यहाँ सिंध, क्वारी तथा महुअर नदियाँ प्रवाहित होती हैं। यहाँ करेरा अभयारण्य तथा माधव राष्ट्रीय उद्यान हैं। कत्था बनाने का कारखाना भी शिवपुरी ज़िले में ही अवस्थित है।
	(iii) गुना	गुना ज़िले को 'चंबल/मालवा का प्रवेश द्वार' कहा जाता है। यहाँ पर प्रसिद्ध तेजाजी का मेला लगता है। विजयपुर में नेशनल फर्टिलाइजर्स का कारखाना है। यहाँ की स्वतंत्रता पूर्व रियासत राघवगढ़ है। यह पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह का गृह क्षेत्र है।
	(iv) अशोकनगर	15 अगस्त, 2003 को गुना ज़िले को विभाजित कर इस ज़िले का गठन किया गया। प्रदेश की खुली जेल मूंगावली यहीं स्थित है। यहाँ जौहर कुंड, हवा महल, नौखंडा, खूनी दरवाज़ा भी दर्शनीय स्थल हैं। यह क्षेत्र हाथ से बुनी चंदेरी साड़ियों के लिये प्रसिद्ध है।
	(v) दतिया	इस शहर को पीतंबरा देवी का शहर तथा अनेक मंदिरों के कारण लघु वृंदावन कहा जाता है। प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल सोनगिरि इसी ज़िले में अवस्थित है। दतिया में ही माताटीला बांध स्थित है।
(5) सागर	**(i) सागर**	यह बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित एक महत्त्वपूर्ण ज़िला है। माप-तौल प्रशिक्षण केंद्र, स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स, सिद्धगवां औद्योगिक विकास केंद्र, मध्य प्रदेश का पुलिस कॉलेज तथा जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी, सागर में ही स्थित हैं। प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य नौरादेही अभयारण्य यहीं स्थित है।
	(ii) दमोह	इसे अनुग्रह एवं स्नेह का शहर भी कहा जाता है। यहाँ रानी दुर्गावती अभयारण्य, औद्योगिक तथा डायमंड सीमेंट कारखाना स्थित है।
	(iii) पन्ना	पन्ना, हीरा भंडारण व उत्खनन के लिये देशभर में प्रसिद्ध है। यहाँ अजयगढ़ का किला, बलदेव जी का मंदिर, जुगल किशोर मंदिर स्थित हैं। इसके अतिरिक्त पांडव जलप्रपात, गंगऊ वन्यजीव अभयारण्य, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान आदि प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं।
	(iv) छतरपुर	प्राचीनकाल में इसे 'जेजाकभुक्ति' के नाम से जाना जाता था। यहाँ विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर हैं, जिन्हें यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। यहाँ केन वन्यजीव अभयारण्य, केन परियोजना तथा उर्मिल परियोजना स्थित हैं। यहाँ प्रतिवर्ष जल बिहारी मेले का आयोजन होता है।
	(v) टीकमगढ़	उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा से लगने वाला टीकमगढ़ ज़िला बुंदेलखंड की संस्कृति वाला प्रमुख ज़िला है। तालाब की अधिकता के कारण टीकमगढ़ को तालाब और पर्वतों का ज़िला भी कहा जाता है। रामायण संग्रहालय भी इसी ज़िले में स्थित है।

	(vi) निवाड़ी	मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ ज़िलें को विभाजित कर 1 अक्टूबर, 2018 को 52वें ज़िला के रूप में सबसे छोटा ज़िला निवाड़ी बना है। इसकी आबादी लगभग चार लाख है। इस ज़िले की सीमाएँ तीन ओर से उत्तर प्रदेश से घिरी हुई हैं।
(6) उज्जैन	**(i) उज्जैन**	उज्जयिनी एवं अवंतिका नाम से प्रसिद्ध उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित प्राचीन शहर है। यहाँ प्रत्येक 12वें वर्ष में (सिंहस्थ पर्व) कुंभ के मेले का आयोजन होता है। यहाँ दर्शनीय स्थलों में भर्तृहरि की गुफाएँ, जंतर-मंतर, मंगलनाथ, महाकालेश्वर मंदिर, कालभैरव मंदिर एवं संदीपनी आश्रम आदि स्थित हैं। यहाँ विक्रमशिला विश्वविद्यालय, महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय स्थित हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मालवा उत्सव का आयोजन इस ज़िले में किया जाता है। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र उज्जैन में ही है।
	(ii) देवास	यह मध्य प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। देवास में ही करेंसी प्रिंटिंग प्रेस है। कालीसिंध नदी का उद्गम देवास ज़िले के बागली (बगली) तहसील के बरझारी ग्राम से हुआ है। यहीं पर केओनी (खिवनी) वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। संगीतकार कुमार गंधर्व की यह साधनास्थली है।
	(iii) रतलाम	रतलाम को सेव नगरी के नाम से भी जाना जाता है। रतलाम में नए टाउन की स्थापना कैप्टन बोर्थविक द्वारा 1829 में की गई थी। यहाँ नमकीन, सेव, सोना, साड़ी तथा समोसा प्रसिद्ध हैं। रतलाम में खरमोर पक्षी के संरक्षण के लिये अभयारण्य स्थापित किया गया है।
	(iv) शाजापुर	मुगल बादशाह शाहजहाँ ने इस नगर को स्थापित किया। शाजापुर व्यंग्यकार व लेखक बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' की जन्मस्थली है।
	(v) आगर मालवा	शाजापुर ज़िले को विभाजित कर 16 अगस्त, 2013 को इस ज़िले को बनाया गया। यह प्रदेश का 51वाँ ज़िला है। इस ज़िले की मुख्य नदी छोटी काली सिंध है।
	(vi) मंदसौर	'मंदोदरी का मायका' के रूप में जाना जाने वाला मंदसौर राजस्थान से चारों तरफ से घिरा हुआ है। यहाँ पर स्थित गांधी सागर बांध मंदसौर को दो भागों में बाँटता है। इस ज़िले में स्थित गांधी सागर अभयारण्य में भालू, तेंदुआ एवं चिंकारा आदि को संरक्षण दिया जा रहा है।
	(vii) नीमच	नीमच को 30 जून, 1998 में मध्य प्रदेश का स्वतंत्र जिला घोषित किया गया था। प्रारंभ में यह मंदसौर ज़िले का हिस्सा था। नीमच को सीआरपीएफ की जन्मस्थली माना जाता है।
(7) शहडोल	**(i) शहडोल**	स्थानीय निवासियों से पता चला कि शहडोल नाम की व्युत्पत्ति सोहागपुर में से एक शहडोलवा अहीर गाँव के नाम से है। इसे सोहागपुर कोयला खान के लिये जाना जाता है। यहाँ की जलवायु शीतोष्ण है। यहाँ दर्शनीय स्थलों में सोहागपुर बाणगंगा में भगवान शिव का एक विराटेश्वर मंदिर है।
	(ii) उमरिया	शहडोल ज़िले को विभाजित कर उमरिया ज़िले का गठन किया गया। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान एवं संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र इसी ज़िले में स्थित हैं।
	(iii) अनूपपुर	शहडोल ज़िले को विभाजित कर 15 अगस्त, 2003 को इसका गठन किया गया। इस ज़िले से नर्मदा, सोन तथा जोहिला नदियों का उद्गम होता है। इस ज़िले में दुग्धधारा, धुनीपानी, नर्मदाकुंड, कलचुरीकाल के मंदिर, सर्वोदय जैन मंदिर आदि दर्शनीय स्थल हैं।

(8) चंबल	**(i) श्योपुर**	मुरैना ज़िले को विभाजित कर श्योपुर ज़िले का गठन किया गया। यह ज़िला चंबल नदी के तट पर स्थित है। यहाँ स्थित पालनपुर कूनो वन्यजीव अभयारण्य में एशियाई शेरों का संरक्षण किया जा रहा है। यह ज़िला काष्ठ कला के लिये प्रसिद्ध है। इस ज़िले से चंबल, कूनो और सीप नदियाँ प्रवाहित होती हैं।
	(ii) मुरैना	मोर पक्षी की अधिकता के कारण इस ज़िले का नाम मुरैना पड़ा। चंबल नदी के किनारे चंबल घड़ियाल अभयारण्य स्थापित है। यहाँ नागा जी का मेला लगता है। चंबल, कुंवारी, संक तथा असन नदियाँ इस ज़िले में प्रवाहित होती हैं।
	(iii) भिंड	भिंड ज़िले को 'बागियों का गढ़' कहा जाता है। भिंड ज़िले के मालनपुर में औद्योगिक विकास केंद्र स्थापित है।
(9) रीवा	**(i) रीवा**	रीवा ज़िले को 'सफेद शेर की भूमि' कहा जाता है। रीवा में कृषि महाविद्यालय, एस.एस. चिकित्सा महाविद्यालय, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, सैनिक स्कूल अवस्थित हैं। यहाँ प्रतिवर्ष महामृत्युजंय का मेला लगता है। रीवा ज़िले में टोंस, बीहड़, केवटी और बहुटी (बाहुती) नदियाँ प्रवाहित होती हैं। बाहुती जलप्रपात इसी ज़िले में अवस्थित है। गोविंदगढ़ में आम अनुसंधान केंद्र स्थित है।
	(ii) सिंगरौली	सीधी ज़िले को विभाजित कर 24 मई, 2008 को सिंगरौली ज़िले का गठन किया गया। यह ज़िला कोयला उत्पादन के लिये विख्यात है। यहाँ एनटीपीसी ताप विद्युत केंद्र स्थापित है।
	(iii) सीधी	यहाँ संजय टाइगर रिज़र्व पार्क है। यहाँ सोन नदी प्रवाहित होती है, जिसे यहाँ की जीवन रेखा कहते हैं।
	(iv) सतना	यह ज़िला चूना व सीमेंट उद्योग के लिये प्रसिद्ध है। चित्रकूट धाम तथा मैहर यहाँ के दर्शनीय स्थल हैं। महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय इसी ज़िले में है। इस ज़िले में अशोक के स्तूप (भरहुत) की खोज की गई है।
(10) होशंगाबाद/ नर्मदापुरम	**(i) होशंगाबाद**	यह ज़िला नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इसकी स्थापना मालवा शासक होशंगशाह ने की थी। यह ज़िला सागौन के वनों के लिये प्रसिद्ध है। इसी ज़िले में माखन लाल चतुर्वेदी का जन्म हुआ था। म.प्र. का प्रमुख हिल स्टेशन पंचमढ़ी इसी ज़िले में स्थित है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बोरी अभयारण्य, तवा जलाशय यहाँ के दर्शनीय स्थल हैं।
	(ii) बैतूल	यह आदिवासी बाहुल्य ज़िला है। यह ज़िला खनिज संसाधनों से भी संपन्न है। यहाँ कोयला, ग्रेफाइट, डोलोमाइट, संगमरमर तथा टिन जैसा खनिज पाया जाता है। ताप्ती नदी का उद्गम इसी ज़िले के मुल्ताई (मुलताई) नामक स्थान से होता है। यहाँ के दर्शनीय स्थलों में जैन तीर्थ स्थल मुक्तागिरि प्रसिद्ध है।
	(iii) हरदा	6 जुलाई, 1998 को होशंगाबाद ज़िले को विभाजित कर इस ज़िले का गठन किया गया। यहाँ कान्हा बाबा का प्रसिद्ध मेला लगता है।

मध्य प्रदेश के प्रमुख पार्क

पार्क का नाम	स्थान
मसाला पार्क	छिंदवाड़ा
जैव प्रौद्योगिकी पार्क	देपालपुर (इंदौर)
पहला डेटा सेंटर पार्क (प्रस्तावित)	इंदौर
देश का दूसरा महिला पार्क (प्रस्तावित)	इंदौर
बायोटेक्नोलॉजी पार्क (प्रस्तावित)	इंदौर
निर्यात उर्वरक औद्योगिक पार्क	देवास
ईको टूरिज्म पार्क (प्रस्तावित)	रीवा
जैव ऊर्जा पार्क	रीवा
पहला पुरातत्त्व पार्क	संग्रामपुर (दमोह)
केंद्रीय खाद्य पार्क (6 स्थानों पर)	मंदसौर, खरगोन, मंडला, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा व भिंड
पहला आईटी पार्क	भोपाल
प्लास्टिक पार्क (प्रस्तावित)	तामोट (रायसेन)
जेम्स एवं ज्वैलरी पार्क	इंदौर
पहला सौर ऊर्जा पार्क	गणेशपुर (राजगढ़)

मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध नगर व इसके कारण

नगर/स्थान का नाम	प्रसिद्धि पाने का कारण
भोपाल	राजधानी क्षेत्र व झीलें
इंदौर	उद्योग नगरी/मिनी मुंबई
खजुराहो	कलात्मक मंदिर
पचमढ़ी	प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन
मलाजखंड	तांबे की खदानें
पन्ना	हीरे की खदानें
सॉची	बौद्ध स्तूप
मंदसौर	अफीम उत्पादन
इटारसी	प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन
नेपानगर	कागज़ मिल
भीमबेटका	प्राचीन शैलचित्र
रीवा	सफेद शेरों के कारण
सिंगरौली	प्रदेश की सबसे मोटी कोयला परत
भेड़ाघाट	संगमरमर की चट्टानें
अमलाई	पेपर मिल
खंडवा	सिंगाजी का मेला
उज्जैन	कुंभ का मेला व महाकाल का मंदिर
ओंकारेश्वर	ज्योतिर्लिंग

देवास	बैंक नोट प्रेस तथा चामुंडा माता मंदिर
धार	बाघ की गुफाएँ
बावनगजा	आदिनाथ की विशाल मूर्ति
चंदेरी	किला व साड़ियाँ
मांडू	खूबसूरत महल
महेश्वर	साड़ियों की बनावट के लिये
ग्वालियर	किला एवं मंदिर

मध्य प्रदेश के प्रमुख शासकीय कार्यालय (भवनों) के नाम

भवन का नाम	कार्यालय
मिंटो हॉल	राज्य का पुराना विधानसभा भवन
इंदिरा गांधी विधानसभा भवन	राज्य का नवीन विधानसभा भवन
वल्लभ भवन	राज्य सचिवालय
सतपुड़ा भवन	राज्य संचालनालय
शक्ति भवन	राज्य विद्युत मंडल
ऊर्जा भवन	मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पर्यावास भवन	राज्य मानवाधिकार आयोग
पुस्तक भवन	मध्य प्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम
निर्वाचन भवन	राज्य निर्वाचन भवन
श्यामला हिल्स	मुख्यमंत्री का निवास स्थान
विंध्याचल भवन	राज्य योजना आयोग
राजभवन	राज्यपाल निवास

मध्य प्रदेश के अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र

अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र	स्थान
आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी	भोपाल
जनजाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान	भोपाल
स्वान प्रशिक्षण केंद्र	भदभदा, भोपाल
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी	भोपाल
अटल बिहारी वाजपेयी लोक प्रशासन संस्थान	भोपाल
यातायात प्रशिक्षण संस्थान	भोपाल
आपदा प्रबंधन संस्थान (देश का पहला)	भोपाल
भारतीय वन प्रबंधन संस्थान (I.I.F.M.)	भोपाल
नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन (प्रस्तावित)	भोपाल
राष्ट्रीय विधि संस्थान	भोपाल
स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर	भोपाल
केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान	भोपाल

प्रमुख संगठनों/संस्थानों के कार्यालय या मुख्यालय

प्रमुख संगठन/संस्थान के कार्यालय या मुख्यालय	स्थान
मध्य प्रदेश की राजधानी	भोपाल
मध्य प्रदेश राज्य सचिवालय	भोपाल
मध्य प्रदेश राज्य निदेशालय	भोपाल
मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग	भोपाल
मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग	भोपाल
मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग	भोपाल
मध्य प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग	भोपाल
राज्य जैव विविधता बोर्ड	भोपाल
इको पर्यटन विकास बोर्ड	भोपाल
मध्य प्रदेश बीज तथा फार्म विकास निगम (1980)	भोपाल
मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम (1961)	भोपाल
मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम (1961)	भोपाल
मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम (1965)	भोपाल
मध्य प्रदेश वस्त्रोद्योग मंडल (1972)	भोपाल
मध्य प्रदेश माइनिंग कॉर्पोरेशन	भोपाल
मध्य प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन	भोपाल
मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड	भोपाल
मध्य प्रदेश हैंडलूम निदेशालय (1976)	भोपाल
मध्य प्रदेश निर्यात निगम	भोपाल
मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम (1981)	भोपाल
मध्य प्रदेश महिला वित्त एवं विकास बोर्ड	भोपाल
मध्य प्रदेश राज्य समाज कल्याण बोर्ड	भोपाल
मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक आयोग	भोपाल
मध्य प्रदेश गौपालन एवं पशुपालन संवर्द्धन बोर्ड	भोपाल
मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम	भोपाल
मध्य प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड	भोपाल

मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ एवं उनके मिलन स्थल		
नदी	**उद्गम स्थल**	**मिलन स्थल**
नर्मदा	अमरकंटक	खंभात की खाड़ी में (गुजरात)
बेतवा	कुमरा गाँव (रायसेन)	यमुना नदी में (हमीरपुर)
ताप्ती	मुल्ताई	खंभात की खाड़ी में
काली सिंध	बागली गाँव (देवास)	चंबल नदी में (राजस्थान)

चंबल	जनापाव पहाड़ी	यमुना नदी में (इटावा)
क्षिप्रा	काकरी बरड़ी (इंदौर)	चंबल नदी में
केन	विंध्याचल पर्वत	यमुना नदी में
सोन	अमरकंटक	गंगा नदी में

प्रमुख जलप्रपात	
कपिलधारा जलप्रपात	अमरकंटक (नर्मदा नदी)
धुआँधार जलप्रपात	जबलपुर (नर्मदा नदी)
दुग्धधारा जलप्रपात	अमरकंटक (नर्मदा नदी)
सहस्रधारा जलप्रपात	महेश्वर (नर्मदा नदी)
मंधार जलप्रपात	खंडवा (नर्मदा नदी)
भालकुंड जलप्रपात	सागर (बीना नदी)
दर्दी जलप्रपात	खंडवा (नर्मदा नदी)
केवटी जलप्रपात	रीवा (महाना नदी)
चचाई जलप्रपात	रीवा (बीहड़ नदी)
पाताल पानी जलप्रपात	इंदौर
पांडव जलप्रपात	पन्ना (केन नदी)
अप्सरा जलप्रपात	पंचमढ़ी
रजत जलप्रपात	पंचमढ़ी
डचेस फॉल	पंचमढ़ी

नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर	
नदी	**नगर**
नर्मदा	ओंकारेश्वर, अमरकंटक, होशंगाबाद, जबलपुर, महेश्वर
चंबल	श्योपुर, महू, रतलाम, मुरैना
ताप्ती	मुल्ताई, बुरहानपुर
बेतवा	ओरछा, साँची, विदिशा, गुना
पार्वती	शाजापुर, आष्टा, राजगढ़
सिंध	शिवपुरी, दतिया
काली सिंध	बागली, देवास, सोनकच्छ
क्षिप्रा	उज्जैन
खान	इंदौर
माही	कुक्षी, धार

मध्य प्रदेश के प्रमुख वन संस्थान

संस्थान	मुख्यालय
भारतीय वन प्रबंध संस्थान (1982)	भोपाल
संजीवनी संस्थान (वनौषधि रोपण)	भोपाल
वन विकास निगम (1975)	भोपाल
मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास निगम (2005)	भोपाल
भारतीय वन अनुसंधान संस्थान (क्षेत्रीय कार्यालय)	जबलपुर
उष्णकटिबंधीय वन संस्थान	जबलपुर
वन्य जीव फोरेन्सिक एवं स्वास्थ्य केंद्र	जबलपुर
वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र (फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज) (1979)	बालाघाट
वन राजकीय महाविद्यालय (1980)	बैतूल
वानिकी अनुसंधान एवं मानव संसाधन विकास संस्थान	छिंदवाड़ा
मध्य प्रदेश का पहला वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस सेंटर	रालामंडल (इंदौर)

प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य		
राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य	ज़िला	प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल (वर्ष)
बाँधवगढ़	उमरिया	1993–94
कान्हा-किसली	मंडला-बालाघाट	1973–74
पन्ना	पन्ना-छतरपुर	1994–95
पेंच	सिवनी-छिंदवाड़ा	1992–93
सतपुड़ा	होशंगाबाद	1999–2000
संजय	सीधी	2008–09

मध्य प्रदेश के प्रमुख अभयारण्य : एक नज़र में				
क्र.सं.	नाम	क्षेत्रफल (लगभग वर्ग किमी.)	ज़िला	प्रमुख वन्य प्राणी
1.	नरसिंहगढ़	57.190	राजगढ़	मोर, तेंदुआ, साँभर, चीतल, जंगली सूअर
2.	गांधीसागर	368.620	मंदसौर/नीमच	तेंदुआ, चीतल, चिंकारा, नीलगाय, जलपक्षी
3.	बोरी	518.715	होशंगाबाद	शेर, तेंदुआ, साँभर, चीतल, गौर, हिरण, जंगली सूअर
4.	पंचमढ़ी	461	होशंगाबाद	शेर, तेंदुआ, चीतल, साँभर, गौर, नीलगाय, हिरण, चिंकारा
5.	डुबरी (संजय)	364.693	सीधी	शेर, तेंदुआ, चीतल, नीलगाय, साँभर, चिंकारा
6.	रातापानी	825.907	रायसेन/सीहोर	शेर, साँभर, तेंदुआ, चीतल, नीलगाय
7.	सिघोंरी	288	रायसेन	तेंदुआ, शेर, साँभर, चीतल, नीलगाय
8.	नौरादेही	1197.672	सागर/दमोह/नरसिंहपुर	शेर, तेंदुआ, चीतल, साँभर, गौर, नीलगाय, जंगली कुत्ता
9.	पेंच (मुँगावली)	292.473	पेंच	शेर, तेंदुआ, साँभर, चीतल, गौर
10.	राष्ट्रीय चंबल	435.00	मुरैना	घड़ियाल, मगरमच्छ, कछुआ, उदबिलाव, डॉल्फिन
11.	केन (घड़ियाल)	45.201	छतरपुर/पन्ना	घड़ियाल, मगरमच्छ
12.	सोन (घड़ियाल)	83.684	सीधी/शहडोल/सतना/सिंगरौली	घड़ियाल, मगरमच्छ, कछुआ, प्रवासी पक्षी
13.	कूनो-पालपुर	345	श्योपुर	शेर, तेंदुआ, चीतल, साँभर, नीलगाय, चिंकारा
14.	करेरा	202.210	शिवपुरी	साँभर, चीतल, नीलगाय, सुनहरी चिड़िया
15.	घाटीगाँव	511	ग्वालियर	चिंकारा, साँभर, नीलगाय, सुनहरी चिड़िया
16.	बगदरा	478.000	सीधी	तेंदुआ, चीतल, साँभर, नीलगाय
17.	फेन	110.740	मंडला	शेर, तेंदुआ, चीतल, साँभर
18.	पनपठा	245.842	उमरिया	शेर, तेंदुआ, चीतल, साँभर, नीलगाय, चौसिंगा, हिरण
19.	सरदारपुर	348.121	धार	खरमौर पक्षी

20.	सैलाना	12.965	रतलाम	खरमौर पक्षी
21.	गंगऊ	69	पन्ना/छतरपुर	तेंदुआ, जंगली सूअर, साँभर, चीतल, नीलगाय, चिंकारा
22.	रालामंडल	3	इंदौर	बाघ, तेंदुआ, चीतल, साँभर, गौर, भालू
23.	वीरांगना दुर्गावती	23.973	दमोह	साँभर, नील गाय, कृष्णमृग, चीतल

मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	कहाँ-से-कहाँ तक	किमी.
3	राजस्थान सीमा से मुरैना-मऊ-ग्वालियर-शिवपुरी-गुना-बियोरा-करनवास-सारंगपुर-देवास-इंदौर-ठीकरी-सेंठवा-महाराष्ट्र सीमा तक	712
7	उत्तर प्रदेश सीमा से मऊगंज-मंगावन-रीवा-मुरवारा-जबलपुर-लखनादौन-शिवनी-गोपालगंज-खवासा-महाराष्ट्र सीमा तक	504
12	जबलपुर-शाहपुर-देवरी-बरेली-ओबैदुल्लागंज-भोपाल-नरसिंहगढ़-बियोरा-राजगढ़-खिलचीपुर-राजस्थान सीमा तक	490
12ए	उत्तर प्रदेश सीमा से-पिर्थीपुर-टीकमगढ़-साहगढ़-हीरापुर-दमोह-तेंदुखेड़ा-जबलपुर-मंडला-गरही-छत्तीसगढ़ सीमा तक	482
25	शिवपुरी-करेरा-उत्तर प्रदेश सीमा	82
26	उत्तर प्रदेश सीमा से बरोदिया-सागर-देवरी-नरसिंहपुर-लखनादौन तक	268
26ए	सागर-जेरूबखेड़ा-खोरई को जोड़ते हुए बीना में समाप्त राजमार्ग	75
27	उत्तर प्रदेश सीमा से सोहगी-मंगावन तक	50
59	गुजरात सीमा से झबुआ-धाड़-इंदौर तक	139
59ए	इंदौर-कन्नोड-खाटेगाँव-हर्दा-सोडलपुर-बैतूल	264
69	ओबैदुल्लागंज-होशंगाबाद-इटारसी-शाहपुर-बैतूल-पंधुरना-चिचोली-महाराष्ट्र सीमा	295
75	ग्वालियर-दतिया-उत्तर प्रदेश सीमा-अलीपुर-छतरपुर-पन्ना-रीवा-सिद्धि-बरगाना-उत्तर प्रदेश सीमा	600
76	राजस्थान सीमा से कोटा-शिवपुरी तक	60
78	कटनी-उमरिया-शहडोल-अनूपुर-छत्तीसगढ़ सीमा तक	178
79	राजस्थान सीमा से नीमच-मंदसौर-रतलाम-घाट बिलाड-इंदौर तक	280
86	उत्तर प्रदेश सीमा से छतरपुर-हीरापुर-बांदा-सागर-राहतगढ़-विदिशा-रायसेन-भोपाल-सीहोर-आश्ता-देवास तक	494
86ए	राहतगढ़ से प्रारंभ होकर बेगमगंज-गैरतगंज को जोड़ते हुए रायसेन तक	131
92	उत्तर प्रदेश सीमा से भिंड-महगावन-ग्वालियर तक	96

मध्य प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय/महाविद्यालय	
कृषि महाविद्यालय	**स्थिति**
जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय (1964)	जबलपुर
कृषि महाविद्यालय	इंदौर
राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय (2008)	ग्वालियर
आर.ए.के. कृषि महाविद्यालय	सीहोर
कृषि महाविद्यालय	रीवा
भगवंत राव मंडलोई कृषि महाविद्यालय	खंडवा
के.एन.के. उद्यानिकी महाविद्यालय	मंदसौर
कृषि महाविद्यालय	गंजबासौदा (विदिशा)

मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय	
विश्वविद्यालय	**स्थिति**
राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय (2008)	ग्वालियर
महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोद्योग विश्वविद्यालय	चित्रकूट (सतना)
मध्य प्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय	भोपाल
राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय (1997)	भोपाल
महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय (1995)	कटनी
अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय (2011)	भोपाल
सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय	सांची
महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय	छतरपुर
महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय	उज्जैन
राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय (2008)	ग्वालियर
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय (केंद्रीय विश्वविद्यालय) (2007)	अमरकंटक (अनूपपुर)
माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (1990)	भोपाल
माधव संगीत महाविद्यालय	ग्वालियर
अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय	रीवा
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय	इंदौर
जीवाजी विश्वविद्यालय	ग्वालियर
लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (1957)	ग्वालियर
विक्रम विश्वविद्यालय	उज्जैन
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय	जबलपुर
डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय (केंद्रीय विश्वविद्यालय)	सागर

चिकित्सा संस्थान	
संस्थान (विश्वविद्यालय)	**स्थिति**
गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय	ग्वालियर
महात्मा गांधी मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय	इंदौर
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय	भोपाल

मॉडर्न डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर	इंदौर
कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस एंड हॉस्पिटल	इंदौर
महाराणा प्रताप कॉलेज ऑफ डेंटीस्ट्री एंड रिसर्च सेंटर	ग्वालियर
हितकारिणी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल	जबलपुर
गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस एंड रिसर्च सेंटर	बुरहानपुर
ऋषिराज कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस	भोपाल
मानसरोवर डेंटल कॉलेज	भोपाल

मध्य प्रदेश के सृजनपीठ

सृजनपीठ	स्थान
आदि शंकराचार्य पीठ	ओंकारेश्वर
परशुराम पीठ	जानापाव (इंदौर)
महादेवी वर्मा पीठ	हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल (प्रस्तावित)
मुक्तिबोध सृजनपीठ	हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर
बाल साहित्य सृजनपीठ	भोपाल
प्रेमचंद सृजनपीठ	विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन
निराला सृजनपीठ	बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

मध्य प्रदेश के प्रमुख महल

महल	ज़िला	महल	ज़िला
गुजरी महल	ग्वालियर	राजा रोहित महल	रायसेन
बादल महल	रायसेन/ग्वालियर	राजा अमन महल	अजयगढ़ (पन्ना)
दाई का महल	मांडू (धार)	इत्रदार महल	रायसेन
मदन महल	जबलपुर	जय विलास महल	ग्वालियर
रानी रूपमती महल	मांडू (धार)	बघेलन महल	मंडला
अशर्फी महल	मांडू (धार)	जहाँगीर महल	ओरछा
खरबूजा महल	धार	मोती महल	ग्वालियर
नौखंडा महल	चंदेरी (अशोक नगर)	सतखंडा महल	दतिया
अटेर का किला	भिंड	रानी महल	मंडला
गोहद का किला	भिंड	जहाज़ महल	मांडू
		हिंडोला महल	मांडू

लोक नाट्य, लोक गायन, लोक नृत्य : एक नज़र में

नाम	स्थान/संबंध
1. माचा	मालवा
2. राई स्वांग	बुंदेलखंड

3. गणगौर	निमाड़
4. कर्मा नृत्य	पूर्वी मध्य प्रदेश (बैगा जनजाति)
5. ढोलामारु की कथा	प. मध्य प्रदेश
6. आल्हा (लोक गायन)	बुंदेलखंड
7. काठी	निमाड़
8. हरदौला की मनौती	बुंदेलखंड
9. नौटंकी	बुंदेलखंड
10. बधाई व सैरा नृत्य	बुंदेलखंड
11. चटकोरा नृत्य	कोरकू जनजाति
12. भगोरिया	भील जनजाति
13. मटका नृत्य	मालवा
14. गोंचो नृत्य	गोंड जनजाति
15. लहंगी नृत्य	कंजर तथा बंजारों

मध्य प्रदेश के प्रमुख संग्रहालय

नाम	वर्ष	ज़िला
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय	1985	भोपाल
बिरला म्यूजियम	1971	भोपाल
राज्य संग्रहालय	2005	भोपाल
दुष्यंत कुमार स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय	1997	भोपाल
गुजरी महल संग्रहालय	1912	ग्वालियर
जहाँगीर महल संग्रहालय	1990	ओरछा (टीकमगढ़)
रामायण कला संग्रहालय	2005	ओरछा (टीकमगढ़)
महाराजा छत्रसाल संग्रहालय	1955	घबेला (छतरपुर)
पुरातत्त्व संग्रहालय	1988	छतरपुर
रानी दुर्गावती संग्रहालय	1976	जबलपुर
देवी अहिल्या संग्रहालय	1974	खरगोन
यशोधर्मन पुरातत्व संग्रहालय	1982–83	मंदसौर
स्थानीय संग्रहालय चंदेरी	1991	अशोकनगर
शासकीय ज़िला पुरातत्त्व	1940	विदिशा
केंद्रीय पुरातत्त्व संग्रहालय	1929	इंदौर
तुलसी संग्रहालय	1978	सतना
सिंधिया संग्रहालय	——	ग्वालियर

मध्य प्रदेश की सीमावर्ती राज्यों से जुड़े ज़िले		
सीमावर्ती राज्य	**संख्या**	**ज़िला**
उत्तर प्रदेश	14	भिंड, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, दतिया, शिवपुरी, सागर, सिंगरौली, अशोकनगर, मुरैना, निवाड़ी
छत्तीसगढ़	6	सीधी, शहडोल, डिंडोरी, बालाघाट, सिंगरौली, अनूपपुर
राजस्थान	10	मुरैना, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, श्योपुर, आगर मालवा
गुजरात	2	झाबुआ, अलीराजपुर
महाराष्ट्र	9	अलीराजपुर, बड़वानी, खरगौन, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट

मध्य प्रदेश की सीमा से लगे राज्य और उनके ज़िले	
सीमावर्ती राज्य	**सीमावर्ती ज़िले**
उत्तर प्रदेश (11 ज़िले)	आगरा, इटावा, जालौन, झाँसी, ललितपुर, बांदा, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद, महोबा, सोनभद्र, चित्रकूट
राजस्थान (10 ज़िले)	प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, बारां, झालावाड़, सवाई-माधोपुर, कोटा, धौलपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, करौली
महाराष्ट्र (8 ज़िले)	धुले, नागपुर, अमरावती, भंडारा, बुल्ढाना, गोंदिया, नंदूरबार, जलगाँव
छत्तीसगढ़ (7 ज़िले)	राजनांदगाँव, कबीरधाम, बिलासपुर, मुंगेली, सूरजपुर, कोरिया, बलरामपुर
गुजरात (2 ज़िले)	दाहोद, वड़ोदरा

- **कर्क रेखा** मध्य प्रदेश के **14 ज़िलों** से होकर गुज़रती है। ज़िलों के नाम इस प्रकार हैं– रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा (पहले शाजापुर था), राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल।
- राज्य की सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश से तथा सबसे कम सीमा गुजरात से लगती है।

मध्य प्रदेश : जनगणना-2011
(Madhya Pradesh : Census–2011)

जनगणना संघ सूची का विषय है। इसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद-246 में की गई है। 2011 की जनगणना देश की 15वीं जनगणना है तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। जनगणना की महत्ता को देखते हुए संघ सरकार ने 1961 में 'जनगणना विभाग' की, स्थापना की जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ब्रिटिश भारत में 1872 ई. के लार्ड मेयो के शासनकाल में पहली जनगणना हुई तथा 1881 ई. में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से इसने निरंतरता प्राप्त की। भारत सरकार द्वारा इस परंपरा को जारी रखते हुए प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर देश की जनगणना करवाई जाती है।

- 2011 की जनगणना के आधार पर मध्य प्रदेश जनसंख्या के मामले में पाँचवे स्थान पर है।
- प्रदेश की कुल जनसंख्या - 7,26,26,809
  - पुरुष जनसंख्या - 3,76,12,306
  - महिला जनसंख्या - 3,50,14,503
- राज्य की जनसंख्या प्रतिशत देश की कुल जनसंख्या का 5.99% है।
- जनगणना 2011 में राज्य की कुल ग्रामीण जनसंख्या 5,25,57,404 (72.4%) व नगरीय जनसंख्या 2,00,69,405 (27.6%)
- राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला - इंदौर (4.5%)
- राज्य में सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला - हरदा (0.8%)

जनगणना आयुक्त कार्यालय (जनगणना महानिदेशक श्री सी. चंद्रमौली) द्वारा जनगणना 2011 के अंतिम आँकड़े जारी किये गए। यह मध्य प्रदेश की छठी एवं देश की पंद्रहवीं जनगणना थी। उस समय प्रदेश के जनगणना निदेशक सचिन सिन्हा थे।

प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले		
1.	इंदौर	32,76,697
2.	जबलपुर	24,63,289
3.	सागर	23,78,458
4.	भोपाल	23,71,061
5.	रीवा	23,65,106

प्रदेश के न्यूनतम जनसंख्या वाले ज़िले		
1.	हरदा	5,70,465
2.	उमरिया	6,44,758
3.	श्योपुर	6,87,861
4.	डिंडोरी	7,04,524
5.	अलीराजपुर	7,28,999

प्रदेश की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या- 5,25,57,404

पुरुष - 2,71,49,388 महिला - 2,54,08,016

ग्रामीण जनसंख्या प्रदेश की कुल जनसंख्या का 72.4% है।

प्रदेश की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या- 2,00,69,405

पुरुष - 1,04,62,918 महिला - 96,06,487

शहरी जनसंख्या का प्रतिशत प्रदेश की कुल जनसंख्या का 27.6% है।

प्रदेश के सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले ज़िले		
1.	रीवा	19,69,321
2.	धार	1,77,2572
3.	सतना	17,54,517
4.	सागर	16,69,662
5.	छिंदवाड़ा	15,85,739

प्रदेश के सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले ज़िले		
1.	इंदौर	24,27,709
2.	भोपाल	19,17,051
3.	जबलपुर	14,40,034
4.	ग्वालियर	12,73,792
5.	उज्जैन	7,79,213

प्रदेश के सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले ज़िले		
1.	डिंडोरी	95.4%
2.	अलीराजपुर	92.2%
3.	सीधी	91.7%
4.	झाबुआ	91%
5.	सिवनी	88.1%

प्रदेश के सर्वाधिक नगरी जनसंख्या प्रतिशत वाले ज़िले		
1.	भोपाल	80.9%
2.	इंदौर	74.1%
3.	ग्वालियर	62.7%
4.	जबलपुर	58.5%
5.	उज्जैन	39.2%

क्षेत्रफल में 7 बड़े ज़िले (वर्ग किमी. में)	
छिंदवाड़ा	11815
सागर	10252
शिवपुरी	10066
बैतूल	10043
बालाघाट	9229
सिवनी	8758
छतरपुर	8687

क्षेत्रफल में 7 छोटे ज़िले (वर्ग किमी. में)	
दतिया	2691
भोपाल	2772
आगर-मालवा	2785
अलीराजपुर	3182
हरदा	3334
बुरहानपुर	3427
झाबुआ	3500

दशकीय वृद्धि *(Decadal growth)*

- 2001–2011 के दौरान मध्य प्रदेश में दशकीय वृद्धि दर राष्ट्रीय वृद्धि दर 17.7% की तुलना में 20.3% है।
- 1991–2001 के दौरान प्रदेश में यह दर 24.3% थी।
- पुरुष दशकीय वृद्धि दर - 19.6%
- महिला दशकीय वृद्धि दर - 21.0%
- सबसे अधिक दशकीय वृद्धि वाला ज़िला - इंदौर (32.9%)
- सबसे कम दशकीय वृद्धि वाला ज़िला - अनूपपुर (12.3%)

प्रदेश के सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले ज़िले	
1. इंदौर	32.9%
2. झाबुआ	30.7%
3. भोपाल	28.6%
4. सिंगरौली	28.0%

प्रदेश के न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले ज़िले	
1. अनूपपुर	12.3%
2. बैतूल	12.9%
3. छिंदवाड़ा	13.1%
4. मंदसौर	13.2%

जनसंख्या का घनत्व *(Population density)*

- 2011 में राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या घनत्व - 382 व्यक्ति (प्रति वर्ग किमी.)
- 2011 में मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व - 236 व्यक्ति (प्रति वर्ग किमी.)
- घनत्व के संदर्भ में राज्य का स्थान - 23वाँ
- सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला ज़िला - भोपाल (855)

प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले ज़िले		
1.	भोपाल	855
2.	इंदौर	841
3.	जबलपुर	473
4.	ग्वालियर	446
5.	मुरैना	394

प्रदेश के न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले ज़िले		
1.	डिंडोरी	94
2.	श्योपुर	104
3.	पन्ना	142
4.	बैतूल/रायसेन/सिवनी	157
5.	उमरिया	158

लिंगानुपात *(Sex ratio)*

- मध्य प्रदेश में जनगणना 2001 से स्त्री-पुरुष अनुपात 919 से बढ़कर 2011 में 931 हो गया है।
- 2011 में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला ज़िला - बालाघाट (1021)
- 2011 में सबसे कम लिंगानुपात वाला ज़िला - भिंड (837)

प्रदेश के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले ज़िले		
1.	बालाघाट	1021
2.	अलीराजपुर	1011
3.	मंडला	1008
4.	डिंडोरी	1002
5.	झाबुआ	990

प्रदेश के न्यूनतम लिंगानुपात वाले ज़िले		
1.	भिंड	837
2.	मुरैना	840
3.	ग्वालियर	864
4.	दतिया	873
5.	शिवपुरी	877

शिशु लिंगानुपात *(0–6) (Child sex ratio)*

- 2001 की जनगणना में शिशु स्त्री-पुरुष अनुपात 932 था, जो कि 2011 की जनगणना में 14 अंकों की गिरावट के साथ 918 स्त्री प्रति 1000 पुरुष हो गया।
- शिशु लिंगानुपात के मामले में देश के 35 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में प्रदेश का स्थान 22वाँ है।

0–6 आयु वर्ग में शिशु जनसंख्या की दर

- 2001 में राज्य में शिशु जनसंख्या 17.9% थी, जो कि जनगणना 2011 में गिरकर 14.9% रह गई। यह गिरावट राज्य में 2001–2011 की प्रजनन दर में कमी को इंगित करती है।

मध्य प्रदेश में संभागवार लिंगानुपात व वृद्धि दर			
	संभाग	लिंगानुपात	वृद्धि दर (प्रतिशत में)
1.	इंदौर	956	26.3
2.	ग्वालियर	881	23.5
3.	भोपाल	916	23.0
4.	चंबल	848	21.7
5.	रीवा	930	21.5
6.	सागर	898	18.5
7.	शहडोल	974	18.3
8.	उज्जैन	955	16.8
9.	जबलपुर	964	15.5
10.	नर्मदापुरम	942	14.6

सर्वाधिक शिशु (0–6) जनसंख्या वाले ज़िले		
1.	इंदौर	421380
2.	धार	359949
3.	सागर	356903
4.	रीवा	351983

न्यूनतम शिशु (0–6) जनसंख्या वाले ज़िले		
1.	हरदा	84191
2.	उमरिया	103414
3.	अनूपपुर	106071
4.	दतिया	110114

सर्वाधिक शिशु (0–6) लिंगानुपात वाले ज़िले		
1.	अलीराजपुर	978
2.	डिंडोरी/मंडला	970
3.	बालाघाट	967
4.	बैतूल	957

न्यूनतम शिशु (0–6) लिंगानुपात वाले ज़िले		
1.	मुरैना	829
2.	ग्वालियर	840
3.	भिंड	843
4.	दतिया	856

साक्षरता दर *(Literacy rate)*

- जनगणना 2011 में राज्य में 69.3% साक्षरता दर्ज की गई, जो कि 2001 में 63.7% थी।
- राज्य में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला ज़िला – जबलपुर (81.1%)
- राज्य में सबसे कम साक्षरता दर वाला ज़िला – अलीराजपुर (36.1%)

देश के सर्वाधिक साक्षर ज़िले
1. सरचिप (मिज़ोरम) 98.76%
2. आईजोल (मिज़ोरम) 98.50%

देश में न्यूनतम साक्षर ज़िले
1. अलीराजपुर 36.1 (मध्य प्रदेश)
2. बीजापुर 41.48 (छत्तीसगढ़)

स्त्री-पुरुष साक्षरता

- 2001 में स्त्री साक्षरता दर 50.3% थी, जो 2011 में बढ़कर 59.2 हो गई। इस प्रकार इसमें 8.9 अंकों की वृद्धि हुई, जो पुरुषों की तुलना में अधिक है। दूसरी ओर पुरुषों के आँकड़ों में यह वृद्धि 76.1 से बढ़कर 78.7% हो गई, इसमें 2.6% की वृद्धि हुई।
- सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाले ज़िले – इंदौर (87.3%), जबलपुर (87.3%)
- सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला ज़िला – अलीराजपुर (42.0%)
- सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला ज़िला – भोपाल (74.9%)
- सबसे कम महिला साक्षरता वाला ज़िला – अलीराजपुर (30.3%)

- मध्य प्रदेश की कुल साक्षरता – 69.3%
  - पुरुष साक्षरता – 78.7%
  - महिला साक्षरता – 59.2%
- जनगणना-2011 में स्त्री पुरुष में साक्षरता अंतर – 19.5%
- मध्य प्रदेश की ग्रामीण साक्षरता – 63.9%
  - पुरुष साक्षरता – 74.7%
  - महिला साक्षरता – 52.4%
- मध्य प्रदेश की नगरीय साक्षरता – 82.8%
  - पुरुष साक्षरता – 88.7%
  - महिला साक्षरता – 76.5%

सर्वाधिक साक्षरता वाले ज़िले		
1.	जबलपुर	81.1%
2.	इंदौर	80.9%
3.	भोपाल	80.4%
4.	बालाघाट	77.1%
5.	ग्वालियर	76.7%

न्यूनतम साक्षरता वाले ज़िले		
1.	अलीराजपुर	36.1%
2.	झाबुआ	43.3%
3.	बड़वानी	49.1%
4.	श्योपुर	57.4%
5.	धार	59.0%

सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले ज़िले		
1.	जबलपुर	87.3%
2.	इंदौर	87.3%
3.	भोपाल	85.4%
4.	बालाघाट	85.4%
5.	भिंड	85.4%

सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले ज़िले		
1.	भोपाल	74.9%
2.	जबलपुर	74.4%
3.	इंदौर	74.0%
4.	बालाघाट	69.0%
5.	ग्वालियर	67.4%

अनुसूचित जातियों की जनसंख्या *(Population of schedule castes)*

- जनगणना 2011 में राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का अनुपात - 15.6%
- राष्ट्रीय स्तर पर अनुपात - 16.6%
- अनुसूचित जाति का सबसे अधिक अनुपात - उज्जैन (26.4%)
- अनुसूचित जाति का सबसे कम अनुपात - झाबुआ (1.7%)

प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले ज़िले		
1.	इंदौर	5,45,239
2.	उज्जैन	5,23,869
3.	सागर	5,01,630
4.	मुरैना	4,21,519
5.	छतरपुर	4,05,313

प्रदेश में न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले ज़िले		
1.	झाबुआ	17,427
2.	अलीराजपुर	26,877
3.	डिंडोरी	39,782
4.	मंडला	48,425
5.	उमरिया	58,147

प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले ज़िले		
1.	उज्जैन	26.4%
2.	दतिया	25.5%
3.	टीकमगढ़	25.0%
4.	शाजापुर	23.4%
5.	छतरपुर	23.0%

प्रदेश में न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले ज़िले		
1.	झाबुआ	1.7%
2.	अलीराजपुर	3.7%
3.	मंडला	4.6%
4.	डिंडोरी	5.6%
5.	बड़वानी	6.3%

अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या *(Population of schedule tribes)*

- जनगणना 2011 में राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का अनुपात- 21.1%
- अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात - अलीराजपुर (89.0%)
- अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का सबसे कम अनुपात - भिंड (0.4%)

प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले ज़िले		
1.	धार	12,22,814
2.	बड़वानी	9,62,145
3.	झाबुआ	8,91,818
4.	छिंदवाड़ा	7,69,778
5.	प. निमाड़	7,30,169

प्रदेश में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले ज़िले		
1.	भिंड	6131
2.	दतिया	15061
3.	मुरैना	17030
4.	मंदसौर	33092
5.	शाजापुर	37836

सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले ज़िले		
1.	अलीराजपुर	89.0%
2.	झाबुआ	87.0%
3.	बड़वानी	69.4%
4.	डिंडोरी	64.7%
5.	मंडला	57.9%

न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले ज़िले		
1.	भिंड	0.4%
2.	मुरैना	0.9%
3.	दतिया	1.9%
4.	मंदसौर	2.5%
5.	शाजापुर	2.5%

जनसंख्या संबंधी अन्य प्रमुख तथ्य						
	कुल जनसंख्या			कार्य भागीदारी दर		
कुल कामगार	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी
व्यक्ति	31,574,133	24,715,198	6,858,935	43.5	47.0	34.2
पुरुष	20,146,970	14,741,977	5,404,993	53.6	54.3	51.7
महिला	11,427,163	9,973,221	1,453,942	32.6	39.3	15.1

मुख्य कामगार						
	कुल जनसंख्या			कुल कामगार प्रतिशत में		
	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी
व्यक्ति	22,702,119	16,729,558	5,972,561	71.9	67.7	87.1
पुरुष	16,362,065	11,488,183	4,873,882	81.2	77.9	90.2
महिला	6,340,054	5,241,375	1,098,679	55.5	52.6	75.6

कुल कृषक						
	कुल जनसंख्या			कुल कामगार प्रतिशत में		
	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी
व्यक्ति	9,844,439	9,473,811	370,628	31.2	38.3	5.4
पुरुष	6,591,064	6,300,435	290,629	32.7	42.7	5.4
महिला	3,253,375	3,173,376	79,999	28.5	31.8	5.5
कुल खेतिहर मज़दूर						
व्यक्ति	12,192,267	11,691,203	501,064	38.6	47.3	7.3
पुरुष	6,310,657	6,009,667	300,990	31.3	40.8	5.6
महिला	5,881,610	5,681,536	200,074	51.5	57.0	13.8
कुल घरेलू उद्योग कामगार						
व्यक्ति	959,259	596,172	363,087	3.0	2.4	5.3
पुरुष	511,048	286,345	224,703	2.5	1.9	4.2
महिला	448,211	309,827	138,384	3.9	3.1	9.5

धार्मिक जनगणना-2011 *(Religious census–2011)*

25 अगस्त, 2015 को भारत के जनगणना आयुक्त ने 2011 के धार्मिक जनगणना के आँकड़े जारी किये।

धार्मिक आधार पर दशकीय वृद्धि दर	
हिंदू	20.0%
मुस्लिम	24.3%
ईसाई	25.2%
सिक्ख	0.4%
बौद्ध	3.2%
जैन	4%

धार्मिक आधार पर लिंगानुपात	
हिंदू	929
मुस्लिम	945
ईसाई	1026
सिक्ख	885
बौद्ध	967
जैन	942

राज्य की धर्म आधारित जनसंख्या	
धार्मिक समुदाय	**जनसंख्या % में (2011)**
हिंदु	90.89
मुस्लिम	6.57
जैन	0.78
बौद्ध	0.30
ईसाई	0.29
सिक्ख	0.21
अन्य	0.83
जिन्होंने धर्म का उल्लेख नहीं किया	0.13

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993
(The Protection of Human Rights Act, 1993)

मानव अधिकार एक अत्यंत प्राचीन संकल्पना है। प्राचीन इतिहास में यूनानी साम्राज्य से लेकर 1215 में ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा जारी किये गए मैग्नाकार्टा में इनके लिये प्रतिबद्धता व्यक्त की जाती रही है। मानवाधिकारों की अवधारणा के मूल में यह बात समझी जाती है कि सभी मनुष्य जन्म से स्वतंत्र हैं तथा प्रतिष्ठा एवं अधिकारों के संदर्भ में समान हैं। अत: वे अधिकार जो मानव के धर्म, लिंग, जाति, मूलवंश या राष्ट्रीयता से निरपेक्ष उसके समग्र विकास के लिये अनिवार्य हैं, मानवाधिकार कहलाते हैं।

20वीं सदी में विश्व में दो महायुद्धों के रूप में मानवाधिकारों के उल्लंघन की चरम सीमा देखी गई। इसके फलस्वरूप मानवाधिकार संरक्षण की दिशा में कदम उठाना एक नैतिक अनिवार्यता बन गई। द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् बने संयुक्त राष्ट्र संघ ने आधुनिक विश्व में मानवाधिकारों के संरक्षण का कार्य अपने हाथ में लिया। इस क्रम में संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत वर्ष 1946 में 'संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग' की स्थापना की गई। यह आयोग वर्ष 2006 तक कार्य करता रहा तथा 2006 में इसका स्थान संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद् ने ले लिया।

10 दिसंबर, 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 'मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा' (Universal Declaration on Human Rights) के रूप में एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाया गया। इस घोषणा के माध्यम से मानवाधिकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार संहिताबद्ध रूप में सामने आए। इस घोषणा में कुल 30 अनुच्छेद हैं। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को 'मानव अधिकार दिवस' के रूप में मनाया जाता है।

मानवाधिकार

- 10 दिसंबर, 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की सार्वजनिक घोषणा की गई थी।
- सामाजिक जीवन की वे दशाएँ, जो मानव को समाज एवं कानूनसम्मत (संविधान के अनुरूप) कार्यों को संपादित करने की पूर्ण स्वतंत्रता दें **मानवाधिकार** कहलाती हैं।

7-9 अक्टूबर, 1991 के दौरान पेरिस में 'मानव अधिकारों' के संरक्षण व संवर्द्धन के लिये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें कि 'पेरिस सिद्धांत' परिभाषित किये गए। इस सिद्धांत में देशों को एक अधिनियम के तहत मानव अधिकारों के संरक्षण के लिये एक राष्ट्रीय आयोग बनाने की ज़िम्मेदारी दी गई थी। पेरिस सिद्धांतों को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद् द्वारा 1992 में तथा महासभा द्वारा 1993 में अंगीकृत किया गया।

पेरिस सिद्धांतों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए संसद ने 28 सितंबर, 1993 को मानवाधिकारों के संरक्षण व संवर्द्धन के उद्देश्य हेतु 'मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993' पारित किया तथा इसके प्रावधानों के तहत 'राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग' की स्थापना की।

अधिनियम की धारा-2(1)(घ) के अंतर्गत मानव अधिकारों को जीवन, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित ऐसे अधिकारों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो संविधान द्वारा प्रदत्त किये गए हैं या अंतर्राष्ट्रीय संधियों में उल्लिखित तथा भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय हैं।

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 भारत में मानवाधिकारों की रक्षा हेतु निम्नलिखित प्रणाली की व्यवस्था करता है-

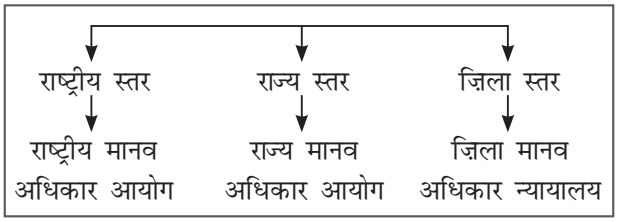

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
(National Human Rights Commission)

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत किया गया। यह एक सांविधिक स्वायत्त निकाय है (संवैधानिक नहीं)। इसका गठन संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन, अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अंतर्गत किया गया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग 12 अक्टूबर, 1993 से अस्तित्व में आया। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जो व्यक्ति की गरिमा, उसके बहुआयामी व्यक्तित्व के विकास को आधार प्रदान करता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के कारण मानवाधिकारों की रक्षा करना शासन या सरकार का प्राथमिक दायित्व बन जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत ने मानवाधिकारों की अभिवृद्धि एवं संरक्षण हेतु राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना के संबंध में अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।

मुख्य उद्देश्य
(Main objectives)

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है- मानवाधिकार संरक्षण के प्रयासों को सशक्त एवं निष्पक्ष बनाना, संस्थागत व्यवस्थाओं को मज़बूत बनाना, सरकार से अलग एक स्वतंत्र संस्था के माध्यम से ऐसे मामलों की जाँच करना ताकि मानवाधिकार से जुड़े महत्त्वपूर्ण मुद्दों की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जा सके और उसका समाधान किया जा सके।

आयोग की संरचना
(Structure of commission)

आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है, जिसमें एक अध्यक्ष व चार सदस्य होते हैं। आयोग का अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व/सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। चार सदस्यों में एक सदस्य उच्चतम न्यायालय में कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, एक उच्च न्यायालय का कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश तथा शेष दो अन्य सदस्यों को मानवाधिकारों से संबंधित जानकारी/अनुभव होना चाहिये। इन सदस्यों के अतिरिक्त आयोग में अन्य चार पदेन सदस्य भी होते हैं। ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग तथा राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की संरचना का उल्लेख अधिनियम की धारा-3 की उपधाराओं (2), (3), (4) में मिलता है।

जाँच के संबंध में शक्तियाँ
(Powers relating to inquiries)

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की जाँच संबंधी शक्तियाँ प्रमुखत: अधिनियम की धारा-13 में उल्लिखित हैं। आयोग को सिविल न्यायालय जैसे अधिकार एवं शक्तियाँ प्राप्त हैं। यह केंद्र या राज्य सरकारों से किसी भी प्रकार की जानकारी या रिपोर्ट की मांग कर सकता है। आयोग के पास मानवाधिकार से संबंधित शिकायतों की जाँच हेतु एक जाँच दल की व्यवस्था है। आयोग उन्हीं मामलों की जाँच करता है, जिसे घटित हुए एक वर्ष से ज़्यादा समय व्यतीत न हुआ हो। आयोग वैसे मामलों की जाँच नहीं करेगा जो राज्य मानवाधिकार आयोग या विधिवत् गठित किसी अन्य आयोग के विचाराधीन होगा। आयोग ऐसी जगह और समय पर अपनी बैठकें कर सकेगा, जो अध्यक्ष इसके लिये उपयुक्त समझता है।

जाँच के संबंध में आयोग
(Commission relating to inquiries)

- गवाहों को अपने पास बुला सकता है एवं उनका परीक्षण (Examining) कर सकता है।
- किसी भी दस्तावेज़ को अपने पास मँगवा सकता है।

- शपथपत्र पर गवाही ले सकता है।
- किसी भी न्यायालय या कार्यालय से अभिलेख (रिकॉर्ड) अपने पास मंगवा सकता है।
- अन्य मामले जो आयोग निर्धारित करे।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जाँचोपरांत पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति/अंतरिम सहायता हेतु संबंधित सरकार या प्राधिकरण को सिफारिश कर सकता है। आयोग इस संबंध में आदेश/निर्देश के लिये उच्चतम या उच्च न्यायालय जा सकता है। स्पष्ट है कि आयोग की भूमिका सलाह देने या सिफारिश करने की होती है, आयोग मानवाधिकार उल्लंघन के दोषी व्यक्ति को दंड नहीं दे सकता और न ही पीड़ित व्यक्ति को किसी प्रकार की आर्थिक क्षतिपूर्ति प्रदान कर सकता है। आयोग की सिफारिशें संबंधित सरकार या प्राधिकरण के लिये बाध्यकारी नहीं होतीं, लेकिन सिफारिशों के संदर्भ में की गई कार्रवाई की सूचना एक महीने के भीतर आयोग को देनी होती है। सामान्य तौर पर सरकार आयोग की सिफारिशों को पूर्णत: नकार नहीं पाती है और इन पर विचार करती है। आयोग की वार्षिक रिपोर्ट या विशेष रिपोर्ट को केंद्र सरकार के माध्यम से संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

सशस्त्र बलों से जुड़े मानवाधिकार हनन के मामलों में आयोग या तो स्वत: संज्ञान लेकर या याचिका (Petition) के आधार पर केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांगता है। रिपोर्ट मिलने पर या तो यह आगे की कार्रवाई बंद कर देता है या सरकार के पास अपनी अनुशंसा (Recommendations) भेजता है। इन अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई के संदर्भ में तीन महीने या जैसा आयोग समय निर्धारित करे, के भीतर सरकार द्वारा आयोग को सूचना दी जानी होती है। आयोग अपनी रिपोर्ट एवं अनुशंसाओं के साथ-साथ सरकार द्वारा की गई कार्रवाई को भी सार्वजनिक करता है।

राज्य मानव अधिकार आयोग
(State Human Rights Commission)

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 केंद्रीय स्तर के साथ-साथ राज्य स्तर पर भी मानव अधिकार आयोगों की स्थापना का प्रावधान करता है। राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन अधिनियम की धारा-21 की उपधारा (1) के अंतर्गत किया गया है। अब तक देश के 25 राज्यों में आधिकारिक तौर पर मानव अधिकार आयोगों की स्थापना की गई है। राज्य मानव अधिकार आयोग केवल उन्हीं मामलों में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जाँच करते हैं, जो संविधान की राज्य सूची या समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। यदि संबंधित मामले की जाँच पहले से ही राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा की जा रही है, तब राज्य मानव अधिकार आयोग मामले की जाँच नहीं करता है।

कार्यक्षेत्र (Jurisdiction)

राज्य मानव अधिकार आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ भी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जैसी ही हैं लेकिन इसका कार्यक्षेत्र सीमित होकर राज्य विशेष तक ही रह जाता है। यह बात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के साथ-साथ राज्य मानवाधिकार आयोग पर भी लागू होती है कि मानवाधिकार हनन से संबंधित घटना घटने के एक साल के बाद इस संदर्भ में कोई जाँच-पड़ताल नहीं की जाएगी। मानवाधिकार हनन संबंधी मामलों की जाँच के लिये आयोग विशेष जाँच टीम (Special Investigation Team) का गठन कर सकता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन को राज्य विधानसभा में रखा जाता है तथा यह बताया जाता है कि आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं के संदर्भ में क्या कार्रवाई की गई। किसी सलाह को न मानने का तार्किक उत्तर राज्य सरकार को देना होता है।

भारत के 25 राज्यों में मानव अधिकार आयोग की स्थापना की जा चुकी है, जिनके नाम निम्नलिखित हैं-

1. असम	2. आंध्र प्रदेश
3. बिहार	4. छत्तीसगढ़
5. गुजरात	6. हिमाचल प्रदेश
7. जम्मू-कश्मीर	8. केरल
9. कर्नाटक	10. मध्य प्रदेश
11. महाराष्ट्र	12. मणिपुर
13. ओडिशा	14. पंजाब
15. राजस्थान	16. तमिलनाडु
17. उत्तर प्रदेश	18. पश्चिम बंगाल
19. झारखंड	20. सिक्किम
21. गोवा	22. उत्तराखंड
23. हरियाणा	24. त्रिपुरा
25. मेघालय	

मानव अधिकार न्यायालय *(Human Rights Court)*

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (The Protection of Human Rights Act, 1993) देश के प्रत्येक ज़िले में मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिये एक मानव अधिकार न्यायालय की स्थापना का प्रावधान करता है। मानव अधिकार न्यायालयों की स्थापना संबंधी प्रावधान अधिनियम की धारा-30 में वर्णित है। राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार के किसी न्यायालय की स्थापना राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर ही की जा सकती है। ऐसे प्रत्येक न्यायालय में राज्य सरकार एक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करती है।

मानवाधिकारों से संबंधित व्यावहारिक पहलू *(Practical aspects regarding human rights)*

भारत में सशस्त्र बलों द्वारा किये गए मानवाधिकार उल्लंघन के मामले हमेशा ही विवाद के विषय बने रहे हैं। इन मामलों में आयोग की भूमिका व शक्तियाँ भी सीमित होती हैं। जेलों में बंद कैदियों के बारे में अक्सर सुनने में आता रहा है कि उनके मामलों की सुनवाई किये बिना लंबे समय तक उन्हें जेलों में बंद रखा गया। भारत में मानवाधिकारों की मुख्य धारा से आज भी किन्नरों, समलैंगिकों या कुछ जनजातीय समुदायों को नहीं जोड़ा जा सका है। भ्रूण हत्या, बालिका हत्या, बाल श्रम, जातीय भेदभाव को कैसे मानवाधिकार हनन से जोड़ा जाए, यह प्रश्न भारत के समक्ष खड़ा है। राज्य स्तर पर मानवाधिकार से संबंधित अनेक विवाद देखने को मिलते रहे हैं। भारत में माओवादी एक शक्तिशाली संगठन के तौर पर उभरे हैं। राज्य स्तर पर मानवाधिकार से संबंधित ज़्यादातर विवाद माओवादी संगठनों से प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़ाव से संबंधित हैं। विनायक सेन, सोनी सोरी (छत्तीसगढ़) मामले पुलिस उत्पीड़न की कहानी कहते हैं, वहीं उत्तर-पूर्वी भारत तथा जम्मू-कश्मीर में मानवाधिकार हनन के मामले सेना को अत्यधिक विशेषाधिकार प्रदान करने से संबंधित हैं। इसके अलावा ऐसे कई मामले राज्य स्तर पर देखने को मिलते हैं, जिनमें मानवाधिकार उल्लंघन के मामले होते हैं लेकिन वे ज़्यादा चर्चित नहीं हो पाते।

राष्ट्रपति द्वारा मानवाधिकार संरक्षण संबंधी अध्यादेश 28 सितंबर, 1993 को जारी किया गया। मानवाधिकार विधेयक, 1993 को संसद के दोनों संदनों द्वारा स्वीकृत कर लेने के पश्चात् 8 जनवरी, 1994 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई परंतु धारा-1 उपखंड (3) के प्रावधानों के अनुसार यह अधिनियम 28 सितंबर, 1993 से ही पूर्ण प्रभावी हुआ माना गया। इस अधिनियम में कुल 8 अध्याय एवं 43 धाराएँ हैं।

प्रारंभिक *(Preliminary)*

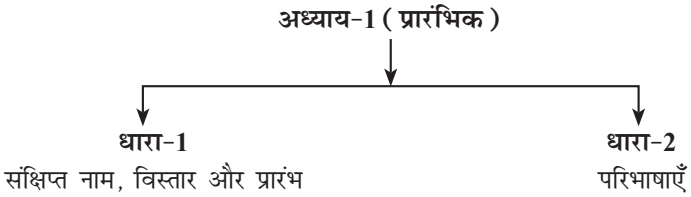

धारा-1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ *(Short title, extent and commencement)*

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है परंतु यह जम्मू-कश्मीर राज्य में केवल वहाँ तक लागू होगा जहाँ तक इसका संबंध उस राज्य में यथा लागू संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 या सूची 3 में प्रगणित प्रविष्टियों में से किसी से संबंधित विषयों से है।

(3) यह 28 सितंबर, 1993 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

धारा-2. परिभाषाएँ *(Definitions)*

(1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) **सशस्त्र बल** से नौसेना, थल सेना और वायुसेना अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत संघ का कोई अन्य सशस्त्र बल है;

(ख) 'अध्यक्ष' से, अभिप्राय, आयोग का या राज्य आयोग का अध्यक्ष से है;

(ग) 'आयोग' से धारा-3 के अधीन गठित 'राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग' अभिप्रेत है;

(घ) "मानव अधिकार" से जीवन, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित ऐसे अधिकार अभिप्रेत हैं जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत किये गए हैं या अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं में सन्निविष्ट और भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय हैं;

(ङ) "मानव अधिकार न्यायालय" से धारा-30 के अधीन विनिर्दिष्ट मानव अधिकार न्यायालय अभिप्रेत है;

(च) "अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा" से संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा 16 दिसंबर, 1966 को अंगीकार की गई सिविल और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा अंगीकार की गई ऐसी अन्य प्रसंविदा या अभिसमय, जो केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, अभिप्रेत है;

(छ) "सदस्य" से, यथास्थिति, आयोग का या राज्य आयोग का सदस्य अभिप्रेत है;

(ज) "राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग" से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा-3 के अधीन गठित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अभिप्रेत है;

(झ) "राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग" से संविधान के अनुच्छेद 338 में निर्दिष्ट राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अभिप्रेत है; (2006 का 43)

(झक) "राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग" से संविधान के अनुच्छेद 338क में निर्दिष्ट राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अभिप्रेत है; (2006 का 43)

(ञ) "राष्ट्रीय महिला आयोग" से राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा-3 के अधीन गठित राष्ट्रीय महिला आयोग अभिप्रेत है;

(ट) "अधिसूचना" से अभिप्राय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना से है;

(ठ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ड) "लोक सेवक" का वही अर्थ है जो भारतीय दंड संहिता की धारा-21 में है;

(ढ) "राज्य आयोग" से अभिप्राय धारा-21 के अधीन गठित 'राज्य मानव अधिकार आयोग' से है।

(2) इस अधिनियम में किसी ऐसी विधि के, जो जम्मू-कश्मीर राज्य में प्रवृत्त नहीं है, प्रति किसी निर्देश का उस राज्य के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस राज्य में प्रवृत्त किसी तत्स्थानी विधि के, यदि कोई हो, प्रति निर्देश है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग *(The National Human Rights Commission)*

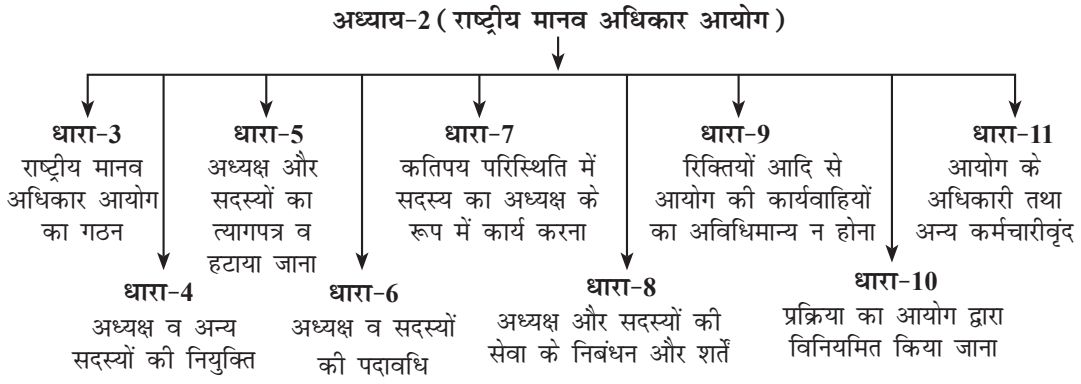

धारा-3. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन *(Constitution of National Human Rights Commission)*

(1) केंद्रीय सरकार, एक निकाय का, जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नाम से ज्ञात होगा, इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और उसे सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के लिये गठन करेगी।

(2) आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात्-

(क) एक अध्यक्ष, जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो;

(ख) एक सदस्य, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा हो;

(ग) एक सदस्य, जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है या रहा हो;

(घ) दो सदस्य, जो ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किये जाएंगे जिन्हें मानव अधिकारों से संबंधित विषयों का ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो।

(3) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, धारा-12 के खंड (ख) से खंड (ञ) में विनिर्दिष्ट कृत्यों के निर्वहन के लिये आयोग के सदस्य समझे जाएंगे।

(4) एक महासचिव होगा, जो आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और वह आयोग की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो (न्यायिक कृत्यों और धारा-40ख के अधीन विनियम बनाने की शक्ति के सिवाय) वे, यथास्थिति, आयोग या अध्यक्ष उसे प्रत्यायोजित करे।

(5) आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा और आयोग, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकेगा।

धारा-4. अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति *(Appointment of chairperson and other members)*

(1) राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मोहर सहित अधिपत्र द्वारा अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को नियुक्त करेगा:

परंतु उस उपधारा के अधीन प्रत्येक नियुक्ति ऐसी समिति की सिफारिशें प्राप्त होने के पश्चात् की जाएगी, जो प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), लोकसभा का अध्यक्ष (सदस्य), राज्यसभा व लोकसभा में विपक्ष के नेता (सदस्य), भारत सरकार के गृह मंत्रालय का भारसाधक मंत्री (सदस्य) तथा राज्यसभा का उपसभापति (सदस्य) से मिलकर बनेगी,

परंतु यह और कि उच्चतम न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का कोई आसीन मुख्य न्यायमूर्ति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात् ही नियुक्त किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

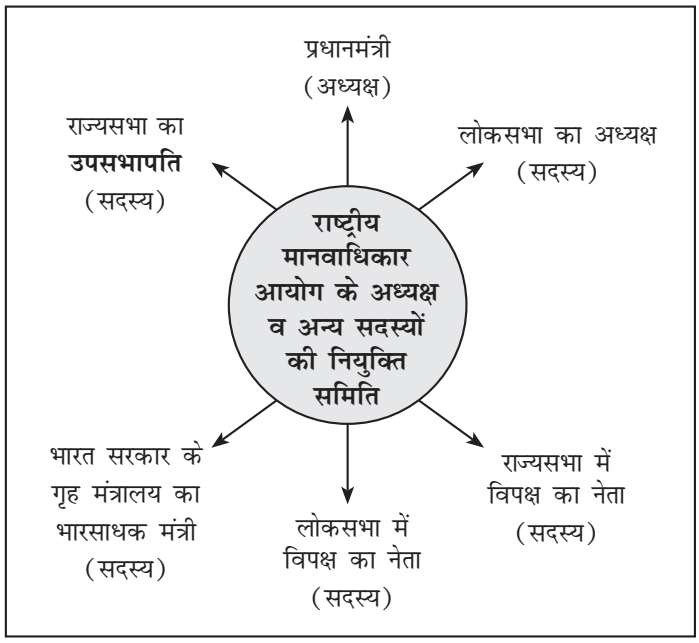

(2) अध्यक्ष या किसी सदस्य की कोई नियुक्ति केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि उपधारा (1) के प्रथम परंतुक में निर्दिष्ट समिति में किसी सदस्य की कोई रिक्ति है।

धारा-5. अध्यक्ष और सदस्यों का त्यागपत्र व हटाया जाना *(Resignation and removal of chairperson and members)*

(1) अध्यक्ष या कोई सदस्य राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित सूचना द्वारा अपना पद त्याग सकेगा।

(2) उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए अध्यक्ष या किसी सदस्य को केवल साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर किये गए राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसके पद से हटाया जाएगा, जो उच्चतम न्यायालय को, राष्ट्रपति द्वारा निर्देश किये जाने पर, उच्चतम न्यायालय द्वारा इस निमित्त विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई जाँच पर यह रिपोर्ट किये जाने के पश्चात् किया गया है कि यथास्थिति, अध्यक्ष या ऐसे सदस्य को ऐसे किसी आधार पर हटा दिया जाए।

(3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि, यथास्थिति अध्यक्ष या कोई सदस्य-

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया जाता है; या

(ख) अपनी पदावधि में अपने पद के कर्त्तव्यों के बाहर किसी सवेतन नियोजन में लगता है; या

(ग) मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण अपने पद पर बने रहने के अयोग्य है; या

(घ) विकृतचित्त का है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है; या

(ङ) किसी ऐसे अपराध के लिये सिद्ध दोष ठहराया जाता है और कारावास से दंडादिष्ट किया जाता है जिसमें राष्ट्रपति की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है। राष्ट्रपति द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा।

धारा-6. अध्यक्ष व सदस्यों की पदावधि *(Term of office of chairperson and members)*

(1) अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति अपने पद ग्रहण की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि तक या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, अपना पद धारण करेगा।

(2) सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति अपने पद ग्रहण की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण करेगा तथा पाँच वर्ष की और अवधि के लिये पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा, परंतु कोई भी सदस्य सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् अपना पद धारण नहीं करेगा।

(3) अध्यक्ष या कोई सदस्य अपने पद पर न रह जाने पर, भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी और नियोजन का पात्र नहीं होगा।

धारा-7. कतिपय परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन *(Member to act as chairperson or to discharge his functions in certain circumstances)*

(1) अध्यक्ष की मृत्यु, पदत्याग या अन्य कारण से हुई रिक्ति की दशा में राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में तब तक कार्य करने के लिये प्राधिकृत कर सकेगा जब तक ऐसी रिक्ति को भरने के लिये नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती।

(2) जब अध्यक्ष छुट्टी पर, अनुपस्थिति के कारण या अन्य कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है तब सदस्यों में से एक ऐसा सदस्य, जिसे राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत करे, उस तारीख तक अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करेगा जिस तारीख को अध्यक्ष अपने कर्त्तव्यों को फिर से सँभालता है।

धारा-8. अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें *(Terms and condition of service of chairperson and members)*

अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवाओं के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएँ परंतु अध्यक्ष और किसी सदस्य के वेतन और भत्तों में तथा सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिये अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

धारा-9. रिक्तियों आदि से आयोग की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना *(Vacancies etc., not to invalidate the proceedings of the commission)*

आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी या अविधिमान्य नहीं होगी कि आयोग में कोई पद रिक्त है या उसके गठन में कोई त्रुटि है।

धारा-10. प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना *(Procedure to be regulated by the commission)*

(1) आयोग का अधिवेशन ऐसे समय और स्थान पर होगा, जो अध्यक्ष ठीक समझे।

(2) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए आयोग को अपनी प्रक्रिया के लिये विनियम अधिकथित करने की शक्ति होगी।

(3) आयोग के सभी आदेश और विनिश्चय महासचिव द्वारा या इस निमित्त अध्यक्ष द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किये जाएंगे।

धारा-11. आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारीवृंद *(Officers and other staff of the commission)*

(1) केंद्रीय सरकार, आयोग को–

(क) भारत सरकार के सचिव की पंक्ति का एक अधिकारी, जो आयोग का महासचिव होगा; और

(ख) ऐसे अधिकारी के अधीन, जो पुलिस महानिदेशक के पद से कम का न हो, ऐसे पुलिस और अन्वेषण कर्मचारीवृंद तथा ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारीवृंद, जो आयोग के कृत्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने के लिये आवश्यक हों, उपलब्ध कराएगी।

(2) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाएँ, आयोग ऐसे अन्य प्रशासनिक, तकनीकी और वैज्ञानिक कर्मचारीवृंद नियुक्त कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझे।

(3) उपधारा (2) के अधीन नियुक्त अधिकारियों और अन्य कर्मचारीवृंद के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएँ।

आयोग के कृत्य और शक्तियाँ *(Function and Powers of the Commission)*

अध्याय-3 (आयोग के कृत्य और शक्तियाँ)

धारा-12	धारा-13	धारा-14	धारा-15	धारा-16
आयोग के कृत्य	जाँच से संबंधित शक्तियाँ	अन्वेषण	आयोग के समक्ष व्यक्तियों द्वारा किये गए कथन	उन व्यक्तियों की सुनवाई जिन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है

धारा-12. आयोग के कृत्य *(Functions of the commission)*

आयोग निम्नलिखित सभी या किन्हीं कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात्-

(क) स्वप्रेरणा से या किसी पीड़ित व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा (या किसी न्यायालय के निर्देश या आदेश पर) उसको प्रस्तुत की गई अर्ज़ी पर–

(i) मानव अधिकारों का उल्लंघन/अतिक्रमण या दुष्प्रेरण किये जाने की;

(ii) ऐसे उल्लंघन के निवारण में किसी लोक सेवक द्वारा लापरवाही बरतने की शिकायत के बारे में जाँच करना;

(ख) किसी न्यायालय के समक्ष लंबित किसी कार्यवाही में जिसमें मानव अधिकारों के अतिक्रमण का कोई अभिकथन अंतर्वलित है, उस न्यायालय के अनुमोदन से मध्यक्षेप करना;

(ग) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी जेल या किसी अन्य संस्था का, जहाँ व्यक्ति उपचार, सुधार या संरक्षण के प्रयोजनों के लिये निरुद्ध या दाखिल किये जाते हैं, वहाँ के निवासियों के जीवन की परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिये, निरीक्षण करना और उन पर सरकार को सिफारिश करना;

(घ) संविधान या मानव अधिकारों के संरक्षण के लिये तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंधित रक्षोपायों का पुनर्विलोकन करना और उनके प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिये उपायों की सिफारिश करना;

(ङ) ऐसी बातों का, जिनके अंतर्गत आतंकवाद के कार्य हैं, और जो मानव अधिकारों के उपभोग में विघ्न डालती हैं, पुनर्विलोकन करना और समुचित उपचारी उपायों की सिफारिश करना;

(च) मानव अधिकारों से संबंधित संधियों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय लिखतों का अध्ययन करना और उनके प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिये सिफारिश करना;

(छ) मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना और उसका संवर्द्धन करना;

(ज) समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानव अधिकारों संबंधी जानकारी का प्रसार करना और प्रकाशनों, संचार-विचार माध्यमों, गोष्ठियों और अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से इन अधिकारों के संरक्षण के लिये उपलब्ध रक्षोपायों के प्रति जागरूकता का संवर्द्धन करना;

(झ) मानव अधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों और संस्थाओं के प्रयासों को उत्साहित करना;

(ञ) ऐसे अन्य कृत्य करना, जो मानव अधिकारों के संवर्द्धन के लिये आवश्यक समझे जाएँ।

धारा-13. जाँच से संबंधित शक्तियाँ *(Powers relating to inquiries)*

(1) आयोग को इस अधिनियम के अधीन शिकायतों के बारे में जाँच करते समय और विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों के संबंध में वे सभी शक्तियाँ होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय को हैं; अर्थात्-

(क) साक्षियों को समन करना और हाज़िर कराना तथा शपथ पर उनकी परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज़ को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से कोई लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि अपेक्षित करना;

(ङ) साक्षियों या दस्तावेज़ों की परीक्षा के लिये कमीशन निकालना;

(च) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए।

(2) आयोग को किसी व्यक्ति से, ऐसे किसी विशेषाधिकार के अधीन रहते हुए, जिसका उस व्यक्ति द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन दावा किया जाए, ऐसी बातों या विषयों पर इत्तिला देने की अपेक्षा करने की शक्ति होगी, जो आयोग की राय में जाँच की विषयवस्तु के लिये उपयोगी हों या उससे सुसंगत हो और जिस व्यक्ति से ऐसी अपेक्षा की जाए वह भारतीय दंड संहिता की धारा-176 और धारा-177 के अर्थ में ऐसी इत्तिला देने के लिये वैध रूप से आबद्ध समझा जाएगा।

(3) आयोग या आयोग द्वारा इस निमित्त विशेषतया प्राधिकृत कोई ऐसा अन्य अधिकारी, जो राजपत्रित अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-100 के उपबंधों के, जहाँ तक वे लागू हों, अधीन रहते हुए किसी ऐसे भवन या स्थान में, जिसके बाबत आयोग के पास यह विश्वास करने का कारण है कि जाँच की विषय-वस्तु से संबंधित कोई दस्तावेज़ वहाँ पाया जा सकता है, प्रवेश कर सकेगा और किसी ऐसे दस्तावेज़ को अभिगृहीत कर सकेगा अथवा उससे उद्धरण या उसकी प्रतिलिपियाँ ले सकेगा।

(4) आयोग को सिविल न्यायालय समझा जाएगा और जब कोई ऐसा अपराध, जो भारतीय दंड संहिता की धारा-175, धारा-178, धारा-179, धारा-180 या धारा-228 में वर्णित है, आयोग की दृष्टिगोचरता में या उपस्थिति में किया जाता है तब आयोग, अपराध गठित करने वाले तथ्यों तथा अभियुक्त के कथन को अभिलिखित करने के पश्चात्, जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में उपबंधित है, उस मामले को ऐसे मजिस्ट्रेट को भेज सकेगा जिसे उसका विचारण करने की अधिकारिता है और वह मजिस्ट्रेट जिसे कोई ऐसा मामला भेजा जाता है, अभियुक्त के विरुद्ध शिकायत सुनने के लिये इस प्रकार अग्रसर होगा मानो वह मामला दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-346 के अधीन उसको भेजा गया हो।

(5) आयोग के समक्ष प्रत्येक कार्रवाई को भारतीय दंड संहिता की धारा-193 और धारा-228 के अर्थ में तथा धारा-196 के प्रयोजनों के लिये न्यायिक कार्रवाई समझा जाएगा और आयोग को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-195 और अध्याय 26 के सभी प्रयोजनों के लिये सिविल न्यायालय समझा जाएगा।

(6) जहाँ आयोग ऐसा करना आवश्यक और समीचीन समझता है, वहाँ वह आदेश द्वारा उसके समक्ष फाइल की गई या लंबित किसी शिकायत को उस राज्य के राज्य आयोग को, जिससे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निपटारे के लिये शिकायत उद्भूत होती है, अंतरित कर सकेगा परंतु ऐसी कोई शिकायत तब तक अंतरित नहीं की जाएगी जब तक कि वह शिकायत ऐसी न हो जिसके संबंध में राज्य आयोग को उसे ग्रहण करने की अधिकारिता न हो।

(7) उपधारा (6) के अधीन अंतरित की गई प्रत्येक शिकायत पर राज्य आयोग द्वारा ऐसे कार्रवाई की जाएगी और उसका निपटारा किया जाएगा मानो वह शिकायत आरंभ में उसके समक्ष फाइल की गई हो।

धारा-14. अन्वेषण *(Investigation)*

(1) आयोग जाँच से संबंधित कोई अन्वेषण करने के प्रयोजनों के लिये यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की सहमति से केंद्रीय सरकार या उस राज्य सरकार के किसी अधिकारी या अन्वेषण अभिकरण की सेवाओं का उपयोग कर सकेगा।

(2) जाँच से संबंधित किसी विषय का अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिये कोई ऐसा अधिकारी या अभिकरण, जिसकी सेवाओं का उपधारा (1) के अधीन उपयोग किया जाता है, आयोग के निर्देशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए-

(क) किसी व्यक्ति को समन कर सकेगा और हाज़िर करा सकेगा तथा उसकी परीक्षा कर सकेगा;

(ख) किसी दस्तावेज़ को प्रकट और पेश किये जाने की अपेक्षा कर सकेगा; और

(ग) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अपेक्षा कर सकेगा।

(3) धारा-15 के उपबंध किसी ऐसे अधिकारी या अभिकरण के समक्ष जिसकी सेवाओं का उपधारा (1) के अधीन उपयोग किया जाता है किसी व्यक्ति द्वारा किये गए किसी कथन के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे आयोग के समक्ष साक्ष्य देने के अनुक्रम में किसी व्यक्ति द्वारा किये गए किसी कथन के संबंध में लागू होते हैं।

(4) जिस अधिकारी या अभिकरण की सेवाओं का उपयोग उपधारा (1) के अधीन किया जाता है वह जाँच से संबंधित किसी विषय का अन्वेषण करेगा और उस पर आयोग को ऐसी अवधि के भीतर, जो आयोग द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए, रिपोर्ट देगा।

(5) आयोग उपधारा (4) के अधीन उसे दी गई रिपोर्ट में कथित तथ्यों के और निकाले गए निष्कर्षों के, यदि कोई हों, सही होने के बारे में अपना समाधान करेगा। इस प्रयोजन के लिये आयोग ऐसी जाँच जिसके अंतर्गत उस व्यक्ति की या उन व्यक्तियों की परीक्षा है, जिसने या जिन्होंने अन्वेषण किया हो या उसमें सहायता की हो, कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।

धारा-15. आयोग के समक्ष व्यक्तियों द्वारा किये गए कथन *(Statement made by persons to the commission)*

आयोग के समक्ष साक्ष्य देने के अनुक्रम में किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कथन, ऐसे कथन द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने के लिये अभियोजन के सिवाय उसे किसी सिविल या दांडिक कार्यवाही के अधीन नहीं करेगा या उसमें उसके विरुद्ध प्रयुक्त नहीं किया जाएगा।

परंतु यह तब जब कि ऐसा कथन-

(क) ऐसे प्रश्न के उत्तर में किया जाता है जिसका उत्तर देने के लिये उससे आयोग द्वारा उपेक्षा की जाए; या

(ख) जाँच की विषयवस्तु से सुसंगत है।

धारा-16. उन व्यक्तियों की सुनवाई जिन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है *(Persons likely to be prejudicially affected to be heard)*

यदि जाँच के किसी अनुक्रम में-

(क) आयोग किसी व्यक्ति के आचरण की जाँच करना आवश्यक समझता है; या

(ख) आयोग की यह राय है कि जाँच से किसी व्यक्ति की ख्याति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है;

तो यह उस व्यक्ति की जाँच में सुनवाई और अपनी प्रतिरक्षा में साक्ष्य प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर देगा-

परंतु इस धारा की कोई बात वहाँ लागू नहीं होगी जहाँ किसी साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप किया जा रहा है।

प्रक्रिया *(Procedure)*

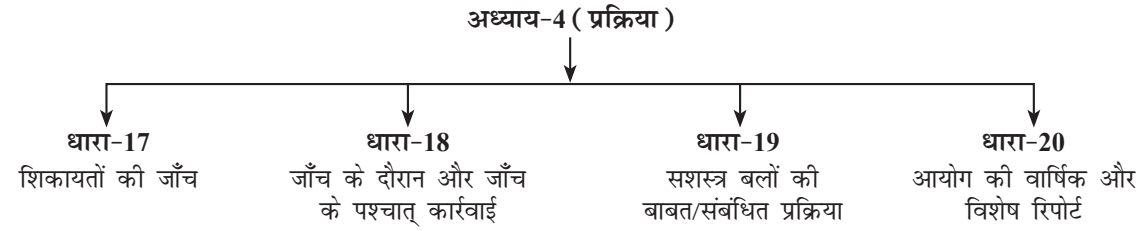

धारा-17. शिकायतों की जाँच *(Inquiry into complaints)*

आयोग मानव अधिकारों के अतिक्रमण की शिकायतों की जाँच करते समय-

(i) केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा उसके अधीनस्थ किसी अन्य प्राधिकारी या संगठन से ऐसे समय के भीतर, जो आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, जानकारी या रिपोर्ट माँग सकेगा, परंतु-

(क) यदि आयोग को नियत समय के भीतर जानकारी या रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तो वह शिकायत के बारे में स्वयं जाँच कर सकेगा;

(ख) यदि जानकारी या रिपोर्ट की प्राप्ति पर आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई और जाँच अपेक्षित नहीं है अथवा अपेक्षित कार्रवाई संबंधित सरकार या प्राधिकारी द्वारा आरंभ कर दी गई है या की जा चुकी है तो वह शिकायत के बारे में कार्रवाई नहीं कर सकेगा और शिकायतकर्त्ता को तदनुसार सूचित कर सकेगा;

(ii) खंड (1) में अंतर्विष्ट किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि आयोग शिकायत की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आवश्यक समझता है तो जाँच आरंभ कर सकेगा।

धारा-18. जाँच के दौरान और जाँच के पश्चात् कार्रवाई *(Steps during and after inquiry)*

आयोग इस अधिनियम के अधीन की गई किसी जाँच के दौरान और उसके पूरा होने पर निम्नलिखित कार्रवाई कर सकेगा, अर्थात्-

(क) जहाँ जाँच से किसी **लोक सेवक** द्वारा मानव अधिकारों का अतिक्रमण या मानव अधिकारों के अतिक्रमण के निवारण में उपेक्षा या मानव अधिकारों के अतिक्रमण का उत्प्रेरण प्रकट होता है, तो वहाँ वह संबंधित सरकार या प्राधिकारी को-

(i) शिकायतकर्त्ता या पीड़ित व्यक्ति या उसके कुटुंब के सदस्यों को ऐसा प्रतिकर या नुकसानों की अनुशंसा करने की सिफारिश कर सकेगा, जो आयोग आवश्यक समझे;

(ii) संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन के लिये कार्रवाइयाँ आरंभ करने या कोई अन्य समुचित कार्रवाई करने के लिये सिफारिश कर सकेगा, जो आयोग ठीक समझे;

(iii) ऐसी कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकेगा, जिसे वह ठीक समझे।

(ख) उच्चतम न्यायालय या संबंधित उच्च न्यायालय को ऐसे निर्देश, आदेश या रिट के लिये जो वह आवश्यक समझे, अनुरोध करना;

(ग) जाँच के किसी प्रक्रम पर संबद्ध सरकार या प्राधिकारी को पीड़ित व्यक्ति या उसके कुटुंब के सदस्यों की ऐसी तत्काल अंतरिम सहायता मंजूर करने की, जो आयोग आवश्यक समझे, सिफारिश करना;

(घ) खंड (ङ) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जाँच रिपोर्ट की प्रति अर्ज़ीदार या उसके प्रतिनिधि को उपलब्ध कराना;

(ङ) आयोग अपनी जाँच रिपोर्ट की एक प्रति अपनी सिफारिशों सहित संबंधित सरकार या प्राधिकारी को भेजेगा और संबंधित सरकार या प्राधिकारी, एक मास की अवधि के भीतर या ऐसे और समय के भीतर, जो आयोग अनुज्ञात करे, रिपोर्ट पर अपनी टीका-टिप्पणी सहित आयोग को भेजेगा जिसके अंतर्गत उस पर की गई या किये जाने के लिये प्रस्तावित कार्रवाई है;

(च) आयोग, संबंधित सरकार या प्राधिकारी की टीका-टिप्पणी सहित, यदि कोई हो, अपनी जाँच रिपोर्ट तथा आयोग की सिफारिशों पर संबंधित सरकार या प्राधिकारी द्वारा की गई या किये जाने के लिये प्रस्तावित कार्रवाई को प्रकाशित करेगा।

धारा-19. सशस्त्र बलों की बाबत/संबंधित प्रक्रिया
(Procedure with respect to armed forces)

(1) इस अधिनियम में किसी बात के रहते हुए भी आयोग, सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानव अधिकारों के अतिक्रमण की शिकायतों के बारे में कार्रवाई करते समय, निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएगा, अर्थात्-

(क) आयोग स्वप्रेरणा से या किसी अर्ज़ी की प्राप्ति पर केंद्रीय सरकार से रिपोर्ट माँग सकेगा;

(ख) रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात् आयोग यथास्थिति शिकायत के बारे में कोई कार्रवाई नहीं करेगा या उस सरकार को अपनी सिफारिशें कर सकेगा।

(2) केंद्रीय सरकार सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के बारे में आयोग को तीन मास (माह) के भीतर या ऐसे और समय के भीतर जो आयोग अनुज्ञात करे, सूचित करेगी।

(3) आयोग केंद्रीय सरकार को की गई अपनी सिफारिशों तथा ऐसी सिफारिशों पर उस सरकार द्वारा की गई कार्रवाई सहित अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करेगा।

(4) आयोग उपधारा (3) के अधीन प्रकाशित रिपोर्ट की प्रति अर्ज़ीदार या उसके प्रतिनिधि को उपलब्ध कराएगा।

धारा-20. आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट
(Annual and special reports of the commission)

(1) आयोग केंद्रीय सरकार को और संबंधित राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और किसी भी समय ऐसे विषय पर, जो उसकी राय में इतना अत्यावश्यक या महत्त्वपूर्ण है कि उसको वार्षिक रिपोर्ट के प्रस्तुत किये जाने तक आस्थगित नहीं किया जाना चाहिये, विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगा।

(2) यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्टों को आयोग की सिफारिशों पर की गई या किये जाने के लिये प्रस्तावित कार्रवाई के ज्ञापन सहित और सिफारिशों की अस्वीकृति के कारणों सहित, यदि कोई हों, संसद या राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।

राज्य मानव अधिकार आयोग *(State Human Rights Commission)*

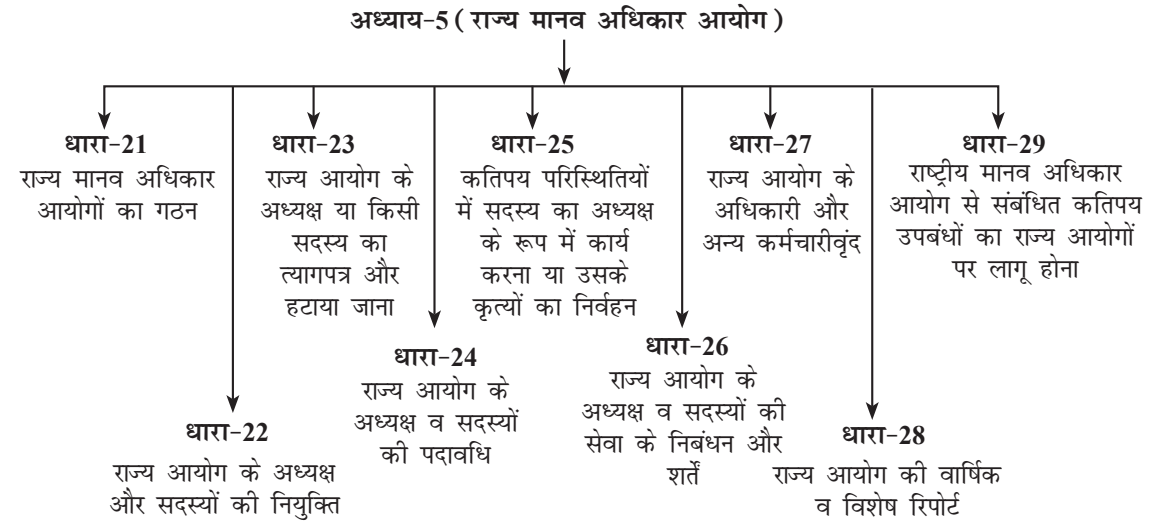

धारा-21. राज्य मानव अधिकार आयोगों का गठन
(Constitution of State Human Rights Commissions)

(1) कोई राज्य सरकार इस अध्याय के अधीन राज्य आयोग को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये और सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के लिये एक निकाय का गठन कर सकेगी जिसका नाम (संबंधित राज्य का नाम) मानव अधिकार आयोग होगा।

मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग

- मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग का गठन सितंबर, 1995 को किया गया था।
- मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग **स्वायत्तशासी** है तथा वह अपने सदस्यों की नियुक्ति, कार्यकाल का निर्धारण, स्टाफ व अनुसंधान दल की कार्यप्रणाली को तय करता है।

(2) राज्य आयोग ऐसी तारीख से, जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात्–
   (क) एक अध्यक्ष, जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति रहा हो;
   (ख) एक सदस्य, जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा हो, या राज्य में जिला न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा हो और जिसे ज़िला न्यायाधीश के रूप में कम-से-कम सात वर्ष का अनुभव हो;
   (ग) एक सदस्य जो ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किया जाएगा जिन्हें मानव अधिकारों से संबंधित विषयों का ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो।

(3) एक सचिव होगा, जो राज्य आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और वह राज्य आयोग की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो राज्य आयोग उसे प्रत्यायोजित करे।

(4) राज्य आयोग का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें।

(5) कोई राज्य आयोग केवल संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-2 और सूची-3 में प्रगणित प्रविष्टियों में से किसी से संबंधित विषयों के बाबत मानव अधिकारों के अतिक्रमण किये जाने की जाँच कर सकेगा।
परंतु यदि किसी ऐसे विषय के बारे में आयोग द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सम्यक् रूप से गठित किसी अन्य आयोग द्वारा पहले से ही जाँच की जा रही है तो राज्य आयोग उक्त विषय के बारे में जाँच नहीं करेगा।
परंतु यह और कि जम्मू-कश्मीर मानव अधिकार आयोग के संबंध में, यह उपधारा ऐसे प्रभावी होगी मानो "केवल संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-2 और सूची-3 में प्रगणित प्रविष्टियों में से किसी से संबंधित विषयों के बाबत" शब्द और अंकों के स्थान पर "जम्मू-कश्मीर राज्य को यथा लागू संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 3 में प्रमाणित प्रविष्टियों में से किसी या संबंधित विषयों के बाबत और उन विषयों के बाबत जिनके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल को विधियाँ बनाने की शक्ति है" शब्द और अंक रख दिये गए हों।

(6) दो या दो से अधिक राज्य सरकारें, राज्य आयोग के अध्यक्ष या सदस्य की सहमति से, यथास्थिति, ऐसे अध्यक्ष या सदस्य को एक राज्य के साथ-साथ अन्य राज्य आयोग का सदस्य नियुक्त कर सकेंगी, यदि अध्यक्ष या सदस्य ऐसी नियुक्ति के लिये सहमति देता है। परंतु उस राज्य के बाबत जिसके लिये, यथास्थिति सामान्य अध्यक्ष या सदस्य या दोनों नियुक्त किये जाने हैं। इस धारा के अधीन की गई प्रत्येक नियुक्ति धारा-22 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति की सिफारिशें अभिप्राप्त करने के पश्चात् की जाएगी।

धारा-22. राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति
(Appointment of chairperson and members of state commission)

(1) राज्यपाल अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करेगा, परंतु इस उपधारा के अधीन प्रत्येक नियुक्ति ऐसी समिति की सिफारिशें प्राप्त होने के पश्चात् की जाएगी, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्

(क) मुख्यमंत्री - अध्यक्ष

(ख) विधानसभा का अध्यक्ष - सदस्य

(ग) उस राज्य के गृह विभाग का प्रभारी मंत्री - सदस्य

(घ) विधानसभा में विपक्ष का नेता- सदस्य

परंतु यह और कि जहाँ किसी राज्य में विधानपरिषद है वहाँ उस परिषद का सभापति और उस परिषद में विपक्ष का नेता भी समिति के सदस्य होंगे:

परंतु यह और भी कि उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या कोई आसीन ज़िला न्यायाधीश, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात् ही नियुक्त किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

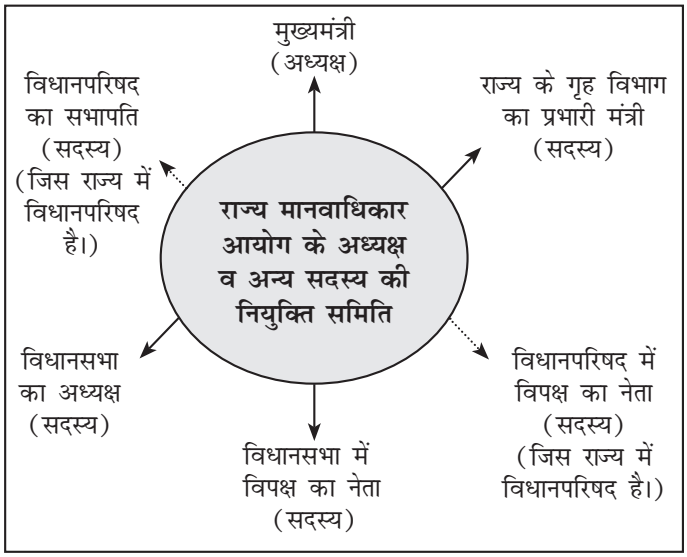

(2) राज्य आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की कोई नियुक्ति केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि उपधारा (1) से निर्दिष्ट समिति में कोई रिक्ति है।

धारा-23. राज्य आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य का त्यागपत्र और हटाया जाना
(Resignation and removal of chairperson or a member of the state commission)

(1) राज्य आयोग का अध्यक्ष या कोई सदस्य राज्यपाल को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित सूचना द्वारा अपना पद त्याग सकेगा।

(1क) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य को केवल साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर किये गए **राष्ट्रपति** के ऐसे आदेश से उसके पद से हटाया जाएगा, जो उच्चतम न्यायालय को, राष्ट्रपति द्वारा निर्देश किये जाने पर, उच्च न्यायालय द्वारा इस निमित्त विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई जाँच पर वह रिपोर्ट किये जाने के पश्चात् किया गया है कि यथास्थिति, अध्यक्ष या ऐसे सदस्य को ऐसे किसी आधार पर हटा दिया जाए।

(2) उपधारा (1क) में किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति अध्यक्ष या कोई (सदस्य)-

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया जाता है; या

(ख) अपनी पदावधि में अपने पद के कर्त्तव्यों के बाहर किसी सवेतन नियोजन में लगता है; या

(ग) मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण अपने पद पर बने रहने के अयोग्य है; या

(घ) विकृतचित्त का है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है; या

(ङ) किसी ऐसे अपराध के लिये दोषसिद्ध ठहराया जाता है और कारावास से दंडादिष्ट किया जाता है जिसमें राष्ट्रपति की राय में नैतिक अधमता अंतर्ग्रस्त है, तो राष्ट्रपति अध्यक्ष या किसी (सदस्य) को आदेश द्वारा, पद से हटा सकेगा।

धारा-24. राज्य आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की पदावधि
(Term of office of chairperson and members of the state commission)

(1) अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति अपने पद ग्रहण की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि तक या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, अपना पद धारण करेगा।

(2) सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति अपने पद ग्रहण की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण करेगा तथा पाँच वर्ष की और अवधि के लिये पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा। परंतु कोई भी सदस्य सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् अपना पद धारण नहीं करेगा।

(3) अध्यक्ष या कोई सदस्य अपने पद पर न रह जाने पर किसी राज्य की सरकार के अधीन या भारत सरकार के अधीन किसी भी और नियोजन का पात्र नहीं होगा।

धारा-25. कतिपय परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन *(Member to act as chairperson or to discharge his functions in certain circumstances)*

(1) अध्यक्ष की मृत्यु, पदत्याग या अन्य कारण से उसके पद में हुई रिक्ति की दशा में राज्यपाल अधिसूचना द्वारा सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में तब तक कार्य करने के लिये प्राधिकृत कर सकेगा जब तक ऐसी रिक्ति को भरने के लिये नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती।

(2) जब अध्यक्ष छुट्टी पर होने के कारण, अनुपस्थिति के कारण या अन्य कारणों से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है तब सदस्यों में से एक ऐसा सदस्य, जिसे राज्यपाल अधिसूचना द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत करे, उस तारीख तक अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करेगा जिस तारीख को अध्यक्ष अपने कर्त्तव्यों को फिर से सँभालता है।

धारा-26. राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें *(Terms and conditions of service of chairperson and members of state commission)*

अध्यक्ष और सदस्यों के संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएँ, परंतु अध्यक्ष या किसी सदस्य के वेतन और भत्तों में तथा सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिये अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

धारा-27. राज्य आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारीवृंद *(Officers and other staff of the State Commission)*

(1) राज्य सरकार आयोग को-

(क) एक अधिकारी, जो राज्य सरकार के सचिव के पद से नीचे का न हो, राज्य आयोग का सचिव होगा; और

(ख) ऐसे अधिकारी के अधीन, जो पुलिस महानिरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, ऐसे पुलिस और अन्वेषण कर्मचारीवृंद तथा ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारीवृंद, जो राज्य आयोग के कृत्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने के लिये आवश्यक हों, उपलब्ध कराएगी।

(2) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाएँ, राज्य आयोग ऐसे अन्य प्रशासनिक, तकनीकी और वैज्ञानिक कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगा, जो आवश्यक समझे।

(3) उपधारा (2) के अधीन नियुक्त अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें ऐसी होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएँ।

धारा-28. राज्य आयोग की वार्षिक व विशेष रिपोर्ट *(Annual and special reports of state commission)*

(1) राज्य आयोग राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और किसी भी समय ऐसे विषय पर, जो उसकी राय में इतना अत्यावश्यक या महत्त्वपूर्ण है कि उसको वार्षिक रिपोर्ट के प्रस्तुत किये जाने तक आस्थगित नहीं किया जाना चाहिये, विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगा।

(2) राज्य सरकार राज्य आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्टों को राज्य आयोग की सिफारिशों पर की गई या की जाने के लिये प्रस्तावित कार्रवाई के ज्ञापन सहित और सिफारिशों की अस्वीकृति के कारणों सहित, यदि कोई हों, जहाँ राज्य विधानमंडल दो सदनों से मिलकर बनता है वहाँ प्रत्येक सदन के समक्ष या जहाँ ऐसा विधानमंडल एक सदन से मिलकर बनता है वहाँ उस सदन के समक्ष, रखवाएगी।

धारा-29. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से संबंधित कतिपय उपबंधों का राज्य आयोगों पर लागू होना *(Application of certain provisions relating to National Human Rights Commission to State Commissions)*

धारा-9, धारा-10, धारा-12, धारा-13, धारा-14, धारा-15, धारा-16, धारा-17 और धारा-18 के उपबंध राज्य आयोग पर लागू होंगे और वे निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, अर्थात्-

(क) आयोग के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे राज्य आयोग के प्रति निर्देश हैं;

(ख) धारा-10 की उपधारा (3) में **महासचिव** शब्द के स्थान पर **सचिव** शब्द रखा जाएगा;

(ग) धारा-12 के खंड (च) का लोप किया जाएगा;

(घ) धारा-17 के खंड (i) में से केंद्रीय सरकार या किसी शब्दों का लोप किया जाएगा।

मानव अधिकार न्यायालय *(Human Rights Courts)*

अध्याय-6 (मानव अधिकार न्यायालय)

धारा-30	धारा-31
मानव अधिकार न्यायालय	विशेष लोक अभियोजक

धारा-30. मानव अधिकार न्यायालय *(Human Rights Courts)*

मानव अधिकारों के अतिक्रमण से उद्भूत होने वाले अपराधों का शीघ्र विचारण करने के लिये उपबंध करने के प्रयोजन के लिये राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से अधिसूचना द्वारा, उक्त अपराधों का विचारण करने के लिये प्रत्येक ज़िले के किसी सेशन न्यायालय को मानव अधिकार न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकेगी:

परंतु इस धारा की कोई बात तब लागू नहीं होगी, जब तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसे अपराधों के लिये-

(क) कोई सेशन न्यायालय पहले से ही विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट है; या

(ख) कोई विशेष न्यायालय पहले से ही गठित है।

धारा-31. विशेष लोक अभियोजक *(Special Public Prosecutor)*

राज्य सरकार, प्रत्येक मानव अधिकार न्यायालय के लिये अधिसूचना द्वारा, एक लोक अभियोजक विनिर्दिष्ट करेगी या किसी ऐसे अधिवक्ता को, जिसने कम से कम सात वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि-व्यवसाय किया हो, उस न्यायालय में मामलों के संचालन के प्रयोजन के लिये विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करेगी।

वित्त, लेखा और संपरीक्षा *(Finance, Accounts and Audit)*

अध्याय-7 (वित्त, लेखा और संपरीक्षा)

धारा-32	धारा-33	धारा-34	धारा-35
केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदान	राज्य सरकार द्वारा अनुदान	लेखा और संपरीक्षा	राज्य आयोग का लेखा और संपरीक्षा

धारा-32. केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदान *(Grants by the central government)*

(1) केंद्रीय सरकार, संसद द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किये गए सम्यक् विनियोग के पश्चात्, आयोग को अनुदानों के रूप में ऐसी धनराशियों का संदाय करेगी, जो केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये उपयोग किये जाने के लिये ठीक समझे।

(2) आयोग, इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिये ऐसी राशियाँ खर्च कर सकेगा जो यह ठीक समझे और ऐसी राशियाँ उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से संदेय व्यय मानी जाएंगी।

धारा-33. राज्य सरकार द्वारा अनुदान *(Grants by the state government)*

(1) राज्य सरकार विधानमंडल द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किये गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् राज्य आयोग को अनुदानों के रूप में ऐसी धनराशियों का संदाय करेगी, जो राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये उपयोग किये जाने के लिये ठीक समझे।

(2) राज्य आयोग अध्याय 5 के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिये ऐसी राशियाँ खर्च कर सकेगा जो वह ठीक समझे और ऐसी राशियाँ उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से संदेय व्यय मानी जाएंगी।

धारा-34. लेखा और संपरीक्षा *(Accounts and Audit)*

(1) आयोग उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का वार्षिक विवरण, ऐसे प्रारूप में तैयार करेगा जो केंद्रीय सरकार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करके विहित करे।

(2) आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जाएगी जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाएँ और ऐसी परीक्षा के संबंध में उपगत कोई व्यय आयोग द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को संदेय होगा।

(3) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के और इस अधिनियम के अधीन उपयोग के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के उस संपरीक्षा के संबंध में वे ही अधिकार और विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के साधारणतया सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में होते हैं और विशिष्टतया उसे बहियाँ, लेखे, संबंधित वाउचर तथा अन्य दस्तावेज़ और कागज़-पत्र पेश किये जाने की मांग करने और आयोग के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित आयोग के लेखे, उन पर संपरीक्षा रिपोर्ट सहित, आयोग द्वारा केंद्रीय सरकार को प्रतिवर्ष भेजे जाएंगे और केंद्रीय सरकार ऐसी संपरीक्षा रिपोर्ट को उसके प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।

धारा-35. राज्य आयोग का लेखा और संपरीक्षा *(Accounts and audit of state commission)*

(1) राज्य आयोग उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का वार्षिक विवरण ऐसे प्रारूप में तैयार करेगा जो राज्य सरकार, भारत के महानियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से परामर्श करके विहित करे।

(2) राज्य आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जाएगी, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाएँ और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई व्यय, राज्य आयोग द्वारा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को संदेय होगा।

(3) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के और इस अधिनियम के अधीन राज्य आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के उस संपरीक्षा के संबंध में वे ही अधिकार और विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे, जो नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के साधारणतया सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में होते हैं और विशिष्टतया उसे बहियाँ, लेखे, संबंधित वाउचर तथा अन्य दस्तावेज़ और कागज-पत्र पेश किये जाने की माँग करने और राज्य आयोग के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित राज्य आयोग के लेखे, उन पर संपरीक्षा रिपोर्ट सहित, राज्य आयोग द्वारा राज्य सरकार को प्रतिवर्ष भेजे जाएंगे और राज्य सरकार ऐसी संपरीक्षा रिपोर्ट को उसके प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाएगी।

प्रकीर्ण *(Miscellaneous)*

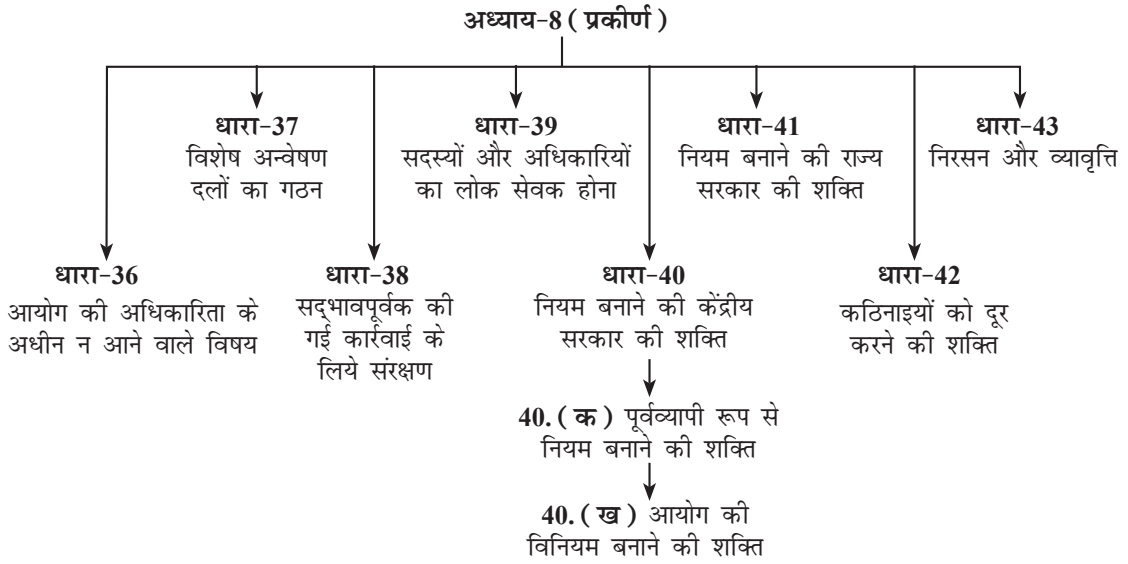

धारा-36. आयोग की अधिकारिता के अधीन न आने वाले विषय *(Matters not subject to jurisdiction of the commission)*

1. आयोग किसी ऐसे विषय की जाँच नहीं करेगा जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सम्यक् रूप से गठित किसी राज्य आयोग या किसी अन्य आयोग के समक्ष लंबित है।
2. आयोग या राज्य आयोग उस तारीख से जिसको मानव अधिकारों का अतिक्रमण गठित करने वाले कार्य का किया जाना अभियोजित है, एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् किसी विषय की जाँच नहीं करेगा।

धारा-37. विशेष अन्वेषण दलों का गठन *(Constitution of special investigation teams)*

तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी जहाँ सरकार का यह विचार है कि ऐसा करना आवश्यक है वहाँ वह एक या अधिक विशेष अन्वेषण दलों का गठन कर सकेगी, जिनमें उतने पुलिस अधिकारी होंगे जितने वह मानव अधिकारों के अतिक्रमणों से उद्भूत होने वाले अपराधों के अन्वेषण और अभियोजन के प्रयोजनों के लिये आवश्यक समझती है।

धारा-38. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिये संरक्षण *(Protection of action taken in good faith)*

इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या किसी आदेश के अनुसरण से सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिये आशयित किसी बात के बारे में अथवा किसी रिपोर्ट, कागज़-पत्र या कार्रवाई के केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, आयोग या राज्य आयोग के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किसी प्रकाशन के बारे में कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, आयोग या राज्य आयोग उसके किसी सदस्य अथवा केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, आयोग या राज्य आयोग के निर्देशाधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी।

धारा-39. सदस्यों और अधिकारियों का लोक सेवक होना
(Members and officers to be public servant)

आयोग या राज्य आयोग का प्रत्येक सदस्य और इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का प्रयोग करने के लिये आयोग या राज्य आयोग द्वारा नियुक्त या प्राधिकृत प्रत्येक अधिकारी भारतीय दंड संहिता की धारा-21 के अर्थ में लोक सेवक समझा जाएगा।

धारा-40. नियम बनाने की केंद्रीय सरकार की शक्ति
(Power of central government to make rules)

(1) केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिये नियम अधिसूचना द्वारा बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिये उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्-

(क) धारा-8 के अधीन (अध्यक्ष और सदस्य के) वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें;

(ख) वे शर्तें जिनके अधीन अन्य प्रशासनिक, तकनीकी और वैज्ञानिक कर्मचारीवृंद आयोग द्वारा नियुक्त किये जा सकेंगे तथा धारा-11 की उपधारा (3) के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन और भत्ते;

(ग) सिविल न्यायालय की कोई अन्य शक्ति, जो धारा-13 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन विहित की जानी अपेक्षित है;

(घ) वह प्रारूप, जिसमें आयोग द्वारा धारा-34 की उपधारा (1) के अधीन वार्षिक लेखा विवरण तैयार किये जाने हैं; और

(ङ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या किया जाए।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो कुल तीस दिन की अवधि के लिये रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्ववत् आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिये सहमत हो जाएँ तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएँ कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिये तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभावी हो जाएगा, किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभावी होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

धारा-40(क). पूर्वव्यापी रूप से नियम बनाने की शक्ति *(Power to make rules retrospectively)*

धारा-40 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन नियम बनाने की शक्ति के अंतर्गत ऐसे नियमों या उनमें से किसी नियम को पूर्वव्यापी/भूतलक्षी रूप से किसी ऐसी तारीख से बनाने की शक्ति होगी, जो उस तारीख से पूर्वतर न हो जिसको इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है किंतु ऐसे किसी नियम को ऐसा कोई भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जाएगा, जिससे कि किसी ऐसे व्यक्ति के, जिस पर नियम लागू हो सकता है, हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

धारा-40(ख). आयोग की विनियम बनाने की शक्ति
(Power of commission to make regulations)

(1) 40 ख (1) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए आयोग, केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिये विनियम बना सकेगा।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिये उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्–

(क) धारा-10 की उपधारा (2) के अधीन आयोग द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया;

(ख) राज्य आयोगों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियाँ और आँकड़े;

(ग) कोई अन्य विषय, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाना है या किया जाए।

(3) इस अधिनियम के अधीन आयोग द्वारा बनाया गया प्रत्येक विनियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिये रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिये सहमत हो जाएँ तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएँ कि वह विनियम नहीं बनाया जाना चाहिये तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभावी हो जाएगा, किंतु विनियम के ऐसे परिवर्तित का निष्प्रभावी होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

धारा-41. नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति *(Power of state government to make rules)*

(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिये नियम अधिसूचना द्वारा बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिये उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्–

(क) धारा-26 के अधीन (अध्यक्ष और सदस्यों के) वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें;

(ख) वे शर्तें जिनके अधीन अन्य प्रशासनिक, तकनीकी और वैज्ञानिक कर्मचारी राज्य आयोग द्वारा नियुक्त किये जा सकेंगे तथा धारा-27 की उपधारा (3) के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन और भत्ते;

(ग) वह प्रारूप जिसमें धारा-35 की उपधारा (1) के अधीन वार्षिक लेखा विवरण तैयार किये जाने हैं।

(3) इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, जहाँ राज्य विधानमंडल के दो सदन हैं वहाँ प्रत्येक सदन के समक्ष या जहाँ ऐसे विधानमंडल का एक सदन है वहाँ उस सदन के समक्ष रखा जाएगा।

धारा-42. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति *(Power to remove difficulties)*

(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और उस कठिनाई को दूर करने के लिये उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों, परंतु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

धारा-43. निरसन और व्यावृत्ति *(Repeal and Savings)*

(1) मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश, 1993 इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्संबंधी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

मानव अधिकार अधिनियम, 1993 के प्रभाव *(Impact of Human Rights Act, 1993)*

मानव अधिकार अधिनियम, 1993, जो मानवाधिकारों के संरक्षण में अहम पड़ाव सिद्ध हुआ है, के प्रमुख प्रभाव निम्नवत् हैं–

- इस अधिनियम ने भारत में मानव अधिकार, मानवीय गरिमा पहले की अपेक्षा अधिक सुनिश्चित की है।
- इस अधिनियम ने संपूर्ण विश्व समुदाय को यह संदेश दिया कि भारत मानवाधिकार के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्देशों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किये गए अन्य प्रयासों का समर्थक है।
- इस अधिनियम ने मानव अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिये एक व्यवस्थित तंत्र का निर्माण कर मानवाधिकार उल्लंघन को हतोत्साहित किया है।
- इस अधिनियम ने मानवाधिकारों के क्षेत्र में भारत में अध्ययनों और शोधकार्यों के प्रति गहरी रुचि जगाई है।
- इस अधिनियम ने प्रत्येक ज़िले में मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना और विशेष लोक अभियोजन की नियुक्ति के माध्यम से भारत में बहुत समय से लंबित मानवाधिकार मामलों को निपटाने की प्रक्रिया को तीव्रता प्रदान की है।
- इस अधिनियम ने मानव संसाधन मंत्रालय और एन.सी.ई.आर.टी. को मानव अधिकार विषय को स्कूली पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने के लिये प्रोत्साहित किया है। इसका प्रभाव यह पड़ा है कि भारत की भावी पीढ़ी मानवाधिकारों की चेतना से युक्त हो रही है।
- मानवाधिकारों के रूप में नारी के भी अधिकार हैं। इस अधिनियम ने भारतीय समाज में लगातार गिरती जा रही नारी गरिमा को न केवल बचाया है अपितु इससे भारत में नारी सशक्तीकरण की प्रक्रिया को भी बल मिला है।
- इससे भारत में प्रशासन की निरंकुशता में कमी आई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सभी ज़िला मजिस्ट्रेटों और सभी ज़िला पुलिस अधीक्षकों को स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि हिरासत में होने वाली मौतों, बलात्कार आदि घटनाओं की सूचना आयोग को 24 घंटे के भीतर प्रदान की जाए।
- इस अधिनियम ने भारतीय राजनीति में मानव अधिकार संस्कृति का समावेश किया है। अधिनियम की धारा-3 के अधीन गठित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सभी बड़े राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को मानव अधिकार संस्कृति की रूपरेखा बनाने को कहा है। साथ ही साथ राजनीतिक दलों के एक वरिष्ठ सदस्य को आयोग के साथ संपर्क बनाए रखने के लिये नामित करने का प्रावधान भी है।
- इस अधिनियम का नकारात्मक प्रभाव यह है कि कई बार मानव अधिकार संगठन इस अधिनियम की आड़ में आतंकवादियों, जघन्य अपराधियों को कड़ी सज़ा से बचाने की हिमायत करते दिखते हैं।

मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2006
[The Protection of Human Rights (Amendment) Act, 2006]

संसद ने मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2006 पारित किया है। इसके द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में जो प्रमुख संशोधन किये गए हैं, वे निम्नलिखित हैं-

1. राज्य मानवाधिकार आयोगों के सदस्यों की संख्या घटाकर 5 से 3 की गई है।
2. मानवाधिकार आयोगों के साथ उपलब्ध अनुसंधान मशीनरी को मज़बूत बनाया गया है।
3. मानवाधिकार आयोग के सदस्य की नियुक्ति के लिये अर्हता शर्तों में परिवर्तन किया गया है।
4. गवाहों के साक्ष्य का अभिलेखीकरण करने की प्रक्रिया को मज़बूती प्रदान की गई है।
5. आयोग को जाँच के दौरान भी क्षतिपूर्ति की अनुशंसा करने का अधिकार देकर सशक्त बनाया गया है।
6. राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण आयोग को राज्य सरकार को सूचित किये बिना भी बंदीगृहों में जाने का अधिकार दिया गया है।
7. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को इस योग्य बनाना कि वह अपने पास आई शिकायतों को संबंधित राज्य मानवाधिकार आयोग को स्थानांतरित कर दे।

8. केंद्रीय सरकार को भविष्य के किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्रों तथा परंपराओं को अधिसूचित करने के योग्य बनाना जिन पर कि अधिनियम लागू होता है।
9. यह स्पष्ट करना कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अथवा राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य के चयन के लिये गठित चयन समिति के किसी सदस्य की अनुपस्थिति से चयन समिति के निर्णयों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
10. यह स्पष्ट करना कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष इन दोनों आयोगों के सदस्यों से भिन्न स्थिति रखते हैं।
11. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को इतना समर्थ बनाना कि वे अपने त्यागपत्र राष्ट्रपति को तथा अध्यक्ष को संबोधित करें तथा राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष एवं सदस्य अपने त्यागपत्र संबंधित राज्य के राज्यपाल को संबोधित करें।
12. इसकी व्यवस्था करना कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य होगा।

मंत्रिमंडल ने मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2018 को स्वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में मानव अधिकारों के बेहतर संरक्षण और संवर्द्धन के लिये मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2018 को अपनी स्वीकृति दे दी है।

प्रमुख विशेषताएँ

(1) विधेयक में आयोग के मानित सदस्य के रूप में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को शामिल करने का प्रस्ताव है।
(2) विधेयक आयोग के गठन में एक महिला सदस्य को जोड़ने का प्रस्ताव करता है।
(3) विधेयक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तथा राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद के लिये पात्रता और चयन के दायरे को बढ़ाने का प्रस्ताव करता है।
(4) विधेयक में केंद्रशासित प्रदेशों में मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामलों को देखने के लिये एक व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव है।
(5) विधेयक में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तथा राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल में संशोधन का प्रस्ताव है, ताकि इसे अन्य आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल के अनुरूप बनाया जा सके।

लाभ

इस संशोधन से भारत में मानव अधिकार संस्थानों को मजबूती मिलेगी और संस्थान अपने दायित्वों और भूमिकाओं तथा ज़िम्मेदारियों का कारगर निष्पादन कर सकेंगे। इतना ही नहीं, संशोधित अधिनियम से मानवाधिकार संस्थान जीवन, स्वतंत्रता, समानता तथा व्यक्ति के सम्मान से संबंधित अधिकारों को सुनिश्चित करने में सहमत वैश्विक मानकों का परिपालन करेंगे।

पृष्ठभूमि

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम. 1993 में संशोधन से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) तथा राज्य मानव अधिकार आयोग (एसएचआरसी) कारगर तरीके से मानव अधिकारों का संरक्षण और संवर्द्धन करने के लिये अपनी स्वायत्तता, स्वतंत्रता, बहुलवाद तथा व्यापक कार्यों से संबंधित पेरिस सिद्धांत का परिपालन करेंगे।

सार्वभौमिक मानव अधिकार सूचकांक *(UHRI)*

सार्वभौमिक मानव अधिकार सूचकांक (UHRI) को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संरक्षण प्रणाली के तीन प्रमुख स्तंभों द्वारा जारी किया जाता है जिसे सिफारिशों तक पहुंच की सुविधा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है।

सार्वभौमिक मानव अधिकार सूचकांक का उद्देश्य इन सिफारिशों के कार्यान्वयन में राज्यों की सहायता करना और राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों (एनएचआरआई), गैर-सरकारी संगठनों, नागरिक समाज और शिक्षाविदों के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र जैसे राष्ट्रीय हितधारकों के कार्य को सुविधाजनक बनाना है।

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955
(The Protection of Civil Rights Act, 1955)

धारा-1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ *(Short title, extent and commencement)*

भारत गणराज्य के छठे वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हुआ–

(1) इसे अधिनियम (सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम), 1955 कहा जाता है।

(2) **इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है।**

(3) यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा, जब केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत कर दे।

धारा-2. परिभाषाएँ *(Definitions)*

इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) **सिविल अधिकार** से कोई ऐसा अधिकार अभिप्रेत है, जो संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा 'अस्पृश्यता' का अंत कर दिये जाने के कारण किसी व्यक्ति को प्रोद्भूत होता है।

(कक) **होटल** के अंतर्गत जलपान-गृह, भोजनालय, बासा, कॉफी हाउस और कैफे आते हैं।

(ख) **स्थान** के अंतर्गत गृह, भवन और अन्य संरचना तथा परिसर हैं और इसके अंतर्गत तंबू, यान और जलयान भी हैं।

(ग) **लोक मनोरंजन स्थान** के अंतर्गत कोई भी ऐसा स्थान है, जिसमें जनता को प्रवेश करने दिया जाता है और जिसमें मनोरंजन की व्यवस्था की जाती है या मनोरंजन किया जाता है।

स्पष्टीकरण: मनोरंजन के अंतर्गत कोई प्रदर्शनी, तमाशा, खेलकूद, क्रीड़ा और किसी अन्य प्रकार का आमोद भी हैं।

(घ) **लोक पूजा स्थान** से, चाहे जिस नाम से ज्ञात, ऐसा स्थान अभिप्रेत है, जो धार्मिक-पूजा के सार्वजनिक स्थान के तौर पर उपयोग में लाया जाता है या कोई धार्मिक सेवा या प्रार्थना करने के लिये, किसी धर्म को मानने वाले या किसी धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी विभाग के व्यक्तियों को साधारणत: समर्पित किया गया है या उनके द्वारा साधारणत: उपयोग में लाया जाता है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित हैं-

(i) ऐसे किसी स्थान के साथ अनुलग्न या संलग्न सब भूमि और गौण पवित्र-स्थान।

(ii) निजी स्वामित्व का कोई पूजा-स्थान जिसका स्वामी वस्तुत: उसे लोक पूजा-स्थान के रूप में उपयोग में लाने की अनुज्ञा देता है; और

(iii) ऐसे निजी स्वामित्व वाले पूजा-स्थान से अनुलग्न ऐसी भूमि या गौण पवित्र स्थल, जिसका स्वामी उसे लोक धार्मिक पूजा स्थान के रूप में उपयोग में लाने की अनुज्ञा देता है।

(घक) 'विहित' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(घख) **अनुसूचित जाति** का वही अर्थ है जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (24) में दिया गया है;

(ङ) **दुकान** से कोई ऐसा परिसर अभिप्रेत है, जहाँ वस्तुओं का थोक या फुटकर या दोनों प्रकार का विक्रय किया जाता है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित हैं, अर्थात्-

(i) कोई ऐसा स्थान जहाँ फेरीवाले या विक्रेता द्वारा या चलते-फिरते यान या गाड़ी से माल का विक्रय किया जाता है;

(ii) लांड्री और बाल काटने का सैलून;

(iii) कोई अन्य स्थान जहाँ ग्राहकों की सेवा की जाती है।

विभिन्न योग्यताएँ एवं संबंधित सज़ा का प्रावधान

निर्योग्यताएँ लागू करना	सज़ा का प्रावधान
धार्मिक स्तर	कम-से-कम एक मास और अधिक-से-अधिक छः मास की अवधि का कारावास होने और जुर्माना, कम-से-कम सौ रुपए, अधिक-से-अधिक पाँच सौ रुपए।
सामाजिक स्तर	कम-से-कम एक मास और अधिक-से-अधिक छः मास की अवधि का कारावास और जुर्माना कम-से-कम सौ रुपए, अधिक-से-अधिक पाँच सौ रुपए।
अस्पताल में प्रवेश देने से इनकार करने पर	कम-से-कम एक मास और अधिक-से-अधिक छः मास की अवधि का कारावास और जुर्माना कम-से-कम सौ रुपए, अधिक-से-अधिक पाँच सौ रुपए।
माल बेचना व सेवा से इनकार के लिये	कम-से-कम एक मास और अधिक-से-अधिक छः मास की अवधि का कारावास और जुर्माना कम-से-कम सौ रुपए, अधिक-से-अधिक पाँच सौ रुपए।
विधि के विरुद्ध अनिवार्य श्रम कराने पर	कम-से-कम **तीन मास** और अधिक-से-अधिक छः मास की अवधि का कारावास और जुर्माना कम-से-कम सौ रुपए, अधिक-से-अधिक पाँच सौ रुपए।
पश्चातवर्ती दोषसिद्धि पर	द्वितीय दोषसिद्धि पर कम-से-कम **छः मास** और अधिक-से-अधिक एक वर्ष की अवधि का कारावास और जुर्माना कम-से-कम दो सौ रुपए, अधिक-से-अधिक पाँच सौ रुपए। तृतीय या उसके पश्चात् की दोषसिद्धि पर कम-से-कम एक वर्ष और अधिक-से-अधिक दो वर्ष की सज़ा और जुर्माना कम-से-कम 500 रुपए और अधिक-से-अधिक 1000 रुपए तक।

अधिनियम एक नज़र में

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955	
धारा-1	संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ
धारा-2	परिभाषाएँ
धारा-3	धार्मिक निर्योग्यताएँ लागू करने के लिये दंड
धारा-4	सामाजिक निर्योग्यताएँ लागू करने के लिये दंड
धारा-5	अस्पतालों आदि में व्यक्तियों को प्रवेश करने से इनकार करने के लिये दंड
धारा-6	माल बेचने या सेवा करने से इनकार के लिये दंड
धारा-7 **धारा-7 (क)**	अस्पृश्यता से उद्भूत अन्य अपराधों के लिये दंड विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम को कब 'अस्पृश्यता' का आचरण समझा जाएगा।
धारा-8	कुछ दशाओं में अनुज्ञप्तियों का रद्द या निलंबित किया जाना।
धारा-9	सरकार द्वारा किये गए अनुदानों का पुनर्ग्रहण या निलंबन।
धारा-10 **धारा-10 (क)**	अपराध का दुष्प्रेरण सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की राज्य सरकार की शक्ति
धारा-11	पश्चातवर्ती दोषसिद्ध शास्ति
धारा-12	कुछ मामलों में न्यायालयों द्वारा उपधारणा
धारा-13	सिविल न्यायालयों की अधिकारिता की परिसीमा

धारा-14	कंपनियों द्वारा अपराध
धारा-14 (क)	सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण
धारा-15	अपराध संज्ञेय और संक्षेपत: विचारणीय होंगे
धारा-15 (क)	'अस्पृश्यता' का अंत करने से प्रोद्भूत अधिकारों का संबंधित व्यक्तियों द्वारा फायदा उठाना सुनिश्चित करने का राज्य सरकार का कर्त्तव्य।
धारा-16	अन्य विधियों का अध्यारोपण करना।
धारा-16 (क)	अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 का चौदह वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों पर लागू न होना।
धारा-16 (ख)	नियम बनाने की शक्ति
धारा-17	निरसन

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 [The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989]

धारा-1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ *(Short title, extent and commencement)*

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 है।

(2) इसका विस्तार **जम्मू-कश्मीर** राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत में है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

धारा-2. परिभाषाएँ *(Definitions)*

(1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) 'अत्याचार' से धारा-3 के अधीन दंडनीय अपराध अभिप्रेत है;

(ख) 'संहिता' से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) अभिप्रेत है;

(खख) 'आश्रित' से आशय पति या पत्नी, बालक, माता-पिता, भाई और बहन, जो पीड़ित पर अपनी सहायता और भरण-पोषण के लिये पूर्णतः या मुख्यतः आश्रित हैं;

(खग) 'आर्थिक बहिष्कार' से निम्नलिखित अभिप्रेत है-

(i) अन्य व्यक्ति से भाड़े पर कार्य से संबंधित संव्यवहार करने या कारबार करने से इनकार करना; या

(ii) अवसरों का प्रत्याख्यान करना, जिनमें सेवाओं तक पहुँच या प्रतिफल के लिये सेवा प्रदान करने हेतु संविदाजन्य अवसर सम्मिलित है; या

(iii) ऐसे निर्बंधनों पर कोई बात करने से इनकार करना जिन पर कोई बात, कारबार के सामान्य अनुक्रम में सामान्यतया की जाएगी; या

(iv) ऐसे वृत्तिक या कारबार संबंधों से प्रतिविरत रहना, जो किसी अन्य व्यक्ति से रखे जाएँ;

(खघ) 'अनन्य विशेष न्यायालय' से इस अधिनियम के अधीन अपराधों को अनन्य रूप से विचारण करने के लिये धारा-14 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित अनन्य विशेष न्यायालय अभिप्रेत है;

(खङ) 'वन अधिकार' का वह अर्थ होगा, जो अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) की धारा-3 की उपधारा (1) में है;

(खच) 'हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी' का अर्थ होगा, जो हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (2013 का 25) की धारा-2 की उपधारा (1) के खंड (छ) में उसका अर्थ है;

(खछ) 'लोक सेवक' से भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा-21 के अधीन यथा परिभाषित और साथ ही तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन लोक सेवक समझा गया। कोई अन्य व्यक्ति लोक सेवक अभिप्रेत है और जिनमें यथास्थिति केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन उसकी पदीय हैसियत में कार्यरत कोई व्यक्ति सम्मिलित है;

(ग) 'अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों' के वही अर्थ हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (24) और खंड (25) में हैं;

(घ) 'विशेष न्यायालय' से धारा-14 में विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट कोई सेशन न्यायालय अभिप्रेत है;

(ङ) 'विशेष लोक अभियोजक' से विशेष लोक अभियोजक के रूप में विनिर्दिष्ट लोक अभियोजक या धारा-15 में निर्दिष्ट अधिवक्ता अभिप्रेत है;

(ङक) 'अनुसूची' से इस अधिनियम में उपबंधों की अनुसूची अभिप्रेत है;

(ङख) 'सामाजिक बहिष्कार' से कोई रूढ़िगत सेवा अन्य व्यक्ति को देने के लिये या उससे प्राप्त करने के लिये, जो अन्य व्यक्ति से बनाए रखे जाएँ या अन्य व्यक्तियों से उसको अलग करने के लिये किसी व्यक्ति को अनुज्ञात करने से इनकार करना अभिप्रेत है;

(ङग) 'पीड़ित' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो धारा-2 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन 'अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति' की परिभाषा के भीतर आता है तथा जो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के होने के परिणामस्वरूप शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक या धनीय हानि या उसकी संपत्ति को हानि वहन या अनुभव करता है और जिसके अंतर्गत उसके नातेदार विधिक संरक्षक और विधिक वारिस भी हैं;

(ङघ) 'साक्षी' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के अधीन अपराध के अंतर्वलित किसी अपराध की अन्वेषण जाँच या विचारण के प्रयोजन के लिये तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित है या कोई जानकारी रखता है या आवश्यक ज्ञान रखता है और जो ऐसे मामलों के अन्वेषण, जाँच या विचारण के दौरान जानकारी देने, कथन करने या कोई दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के लिये उपेक्षित है या उपेक्षित हो सकेगा और जिसमें ऐसे अपराध का पीड़ित सम्मिलित है;

(च) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त किये गए हैं, किंतु परिभाषित नहीं हैं और दंड प्रक्रिया संहिता या भारतीय दंड संहिता में परिभाषित हैं, जो यथास्थिति संहिता में या भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) में है।

2. इस अधिनियम में किसी अधिनियमित या उसके किसी उपबंध के प्रति किसी निर्देश का अर्थ, किसी ऐसे क्षेत्र के संबंध में, जिसमें ऐसी अधिनियमित या ऐसे उपबंध प्रवृत्त नहीं हैं, वह उस क्षेत्र में प्रवृत्त तत्स्थानी विधि, यदि कोई हो, के प्रति निर्देश है।

अधिनियम एक नज़र में

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 [संशोधन अधिनियम, 2015 (क्रमांक 1, वर्ष, 2016)] (11 सितंबर, 1989)		
अध्याय-1 (प्रारंभिक)	**धारा-1**	संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ
	धारा-2	परिभाषाएँ
अध्याय-2 (अत्याचार के अपराध)	**धारा-3**	अत्याचार के अपराधों के लिये दंड
	धारा-4	कर्त्तव्यों की उपेक्षा के लिये दंड
	धारा-5	पश्चातवर्ती दोषसिद्धि के लिये वर्द्धित दंड
	धारा-6	भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंधों का लागू होना
	धारा-7	कतिपय व्यक्तियों की संपत्ति का समपहरण
	धारा-8	अपराधों के बारे में उपधारणा
	धारा-9	शक्तियों का प्रदान किया जाना

अध्याय-3 (निष्कासन)	धारा-10	ऐसे व्यक्ति का हटाया जाना, जिसके द्वारा अपराध किये जाने की संभावना है
	धारा-11	किसी व्यक्ति द्वारा संबंधित क्षेत्र से हटने में असफल रहने और वहाँ से हटने के पश्चात् उसमें प्रवेश करने की दिशा में प्रक्रिया
	धारा-12	ऐसे व्यक्ति जिनके विरुद्ध धारा-10 के अधीन आदेश दिया गया है, माप और फोटो आदि लेना
	धारा-13	धारा-10 के अधीन आदेश के अनुपालन के लिये शास्ति
अध्याय-4 (विशेष-न्यायालय)	धारा-14	विशेष न्यायालय और अनन्य विशेष न्यायालय
	धारा-14(क)	अपीलें
	धारा-15	विशेष लोक अभियोजक और अनन्य लोक अभियोजक
अध्याय-4 (क)	धारा-15(क)	पीड़ित और साक्षी के अधिकार
अध्याय-5 (प्रकीर्ण)	धारा-16	राज्य सरकार की सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति
	धारा-17	विधि और व्यवस्था तंत्र द्वारा निवारक कार्रवाई
	धारा-18	अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्तियों पर संहिता की धारा-438 का लागू न होना
	धारा-19	इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिये दोषी व्यक्तियों पर संहिता की धारा-360 या अपराधी परिवीक्षा के अधिनियम के उपबंध का लागू न होना
	धारा-20	अधिनियम का अन्य विधियों पर अध्यारोही होना
	धारा-21	अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना सरकार का कर्त्तव्य
	धारा-22	सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई के लिये संरक्षण
	धारा-23	नियम बनाने की शक्ति

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995	
धारा-1	संक्षिप्त नाम और प्रारंभ
धारा-2	परिभाषाएँ
धारा-3	पूर्वावधानात्मक और निवारक उपाय
धारा-4	अभियोजन का पर्यवेक्षण और उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करना
धारा-5	पुलिस थाने के भारसाधक पुलिस अधिकारी को सूचना
धारा-6	अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण
धारा-7	अन्वेषण अधिकारी
धारा-8	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण कक्ष की स्थापना
धारा-9	नोडल अधिकारी का नामनिर्देशन
धारा-10	विशेष अधिकारी की नियुक्ति
धारा-11	अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति, उसके आश्रितों तथा साक्षियों को यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, भरण-पोषण व्यय और परिवहन सुविधाएँ मुहैया कराना
धारा-12	ज़िला प्रशासन द्वारा किये जाने वाले उपाय
धारा-13	अत्याचार की जाँच से संबंधित कार्य को पूरा करने के लिये अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों का चयन
धारा-14	राज्य सरकार का विनिर्दिष्ट दायित्व

धारा-15	राज्य सरकार द्वारा आकस्मिकता योजना
धारा-16	राज्य स्तरीय सतर्कता ओर मॉनीटरी समिति का गठन
धारा-17	ज़िला स्तरीय सतर्कता और मॉनीटरी समिति का गठन
धारा-18	वार्षिक रिपोर्ट के लिये सामग्री

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2018 *[The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Act, 2018]*

1. (i) इस अधिनियम को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2018 के रूप में जाना जाएगा।

   (ii) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र अधिनियम द्वारा नियत करे।

2. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा-18 के अंतर्गत शामिल प्रावधान हैं–

18A (1) इस अधिनियम का अभिप्राय-

(a) इस अधिनियम के तहत आरोपी व्यक्ति के खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट (FIR) के पंजीकरण के लिये प्रारंभिक जाँच की आवश्यकता नहीं होगी।

(b) इसके अंतर्गत जाँच अधिकारी को आरोपी की गिरफ्तारी के लिये किसी भी प्राधिकारी की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। इस अधिनियम के तहत अपराध करने का आरोप लगाया गया व्यक्ति अग्रिम ज़मानत के लिये आवेदन नहीं कर सकता है।

(2) किसी भी अदालत का चाहे कोई भी फैसला अथवा ऑर्डर या निदेश हो, लेकिन संहिता की धारा-438 का प्रावधान इस अधिनियम के तहत किसी मामले पर लागू नहीं होगा।

मध्य प्रदेश : करेंट अफेयर्स

- हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषणा की गई कि आदिवासी परिवारों को विषम परिस्थिति में रुपयों के लिये इधर-उधर भटकना न पड़े, इसके लिये प्रत्येक परिवार को 10 हज़ार रुपए तक के बैंक ओवर ड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी।
- हाल ही में मध्य प्रदेश कैबिनेट ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिये आरक्षित कोटा 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत तक करने को मंज़ूरी दे दी है।
- सितंबर 2019 में स्वच्छ भारत मिशन में महाकालेश्वर मंदिर, उज्जैन को जल शक्ति मंत्रालय एवं पेयजल और स्वच्छता विभाग, भारत सरकार द्वारा फेज-2 में पहला रनरअप स्वच्छ आइकॉनिक स्थल, घोषित किया गया।
- हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के महत्त्वाकांक्षी बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिये रीवा ज़िले को पुरस्कृत किया गया है।
- हाल ही में ग्वालियर ग्लोरी हाईस्कूल ने 9वाँ दादा साहेब फाल्के फिल्म पुरस्कार जीता। यह पुरस्कार फिल्म 'जुनून-ज़िद से जीत तक' के लिये मिला।
- ललित कला अकादमी ने 60वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का पुरस्कार वितरण समारोह 25 मार्च, 2019 को मुंबई में आयोजित किया। इसमें 15 लोगों को पुरस्कार प्रदान किये गए। इनमें भोपाल (मध्य प्रदेश) से हेमंत राव को चुना गया।

स्वच्छता सर्वेक्षण, 2019

- भारत सरकार ने स्वच्छता सर्वेक्षण, 2019 के आधार पर देश के सबसे स्वच्छ और साफ शहरों के नाम का एलान 6 मार्च, 2019 को राष्ट्रपति भवन में किया। सबसे स्वच्छ शहर का खिताब एक बार फिर इंदौर के नाम रहा और भोपाल सबसे स्वच्छ राजधानी वर्ग में पहले स्थान पर रहा। वहीं इस सर्वे में छत्तीसगढ़ को बेस्ट परमॉफर्मेस स्टेट अवार्ड से नवाज़ा गया है। 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में अहमदाबाद और पाँच लाख से कम आबादी वाले शहरों में उज्जैन पहले स्थान पर रहे।

शहरों को सात वर्गों में दिया गया पुरस्कार

- सबसे स्वच्छ शहर : इंदौर
- सबसे स्वच्छ राजधानी : भोपाल
- सबसे स्वच्छ बड़ा शहर : अहमदाबाद (10 लाख से ज़्यादा आबादी वाला)
- सबसे स्वच्छ मध्यम आबादी वाला शहर : उज्जैन (3-10 लाख की आबादी)
- सबसे स्वच्छ छोटा शहर : एनडीएमसी दिल्ली (3 लाख से कम आबादी)
- सबसे स्वच्छ कैंटोनमेंट : दिल्ली कैंट
- सबसे स्वच्छ गंगा टाउन : गौचर, उत्तराखंड

जीतू पटवारी को मिला फेम इंडिया सर्वश्रेष्ठ मंत्री अवार्ड

- नवंबर 2019 में मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री जीतू पटवारी को नई दिल्ली में फेम इंडिया सर्वश्रेष्ठ मंत्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। पटवारी को युवाओं में लोकप्रिय होने तथा शराबबंदी, तालाब संरक्षण और किसानों के हितों की रक्षा के लिये हमेशा सक्रिय रहने के कारण सर्वश्रेष्ठ मंत्री का अवार्ड प्रदान किया गया है।

श्री दादाजी दरबार को मिला श्रेष्ठ टूरिस्ट फ्रेंडली तीर्थस्थल का अवार्ड

- मध्य प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा श्री दादा जी धूनीवाले दरबार को इस वर्ष श्रेष्ठ टूरिस्ट फ्रेंडली तीर्थस्थल का अवार्ड दिया गया। देश भर के लाखों लोगों की आस्था का यह केंद्र अब मध्य प्रदेश के पर्यटन मानचित्र में शामिल हो जाएगा।

शिवराज चौहान को एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड

- फरवरी 2019 में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को नई दिल्ली में एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड से सम्मानित किया गया। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया। शिवराज सिंह को यह सम्मान उनके कार्यकाल में किये गए विभिन्न कामों के लिये दिया गया है।

पर्यटन में मध्य प्रदेश को प्राप्त हुए राष्ट्रीय पुरस्कार

- वर्ष 2019 में मध्य प्रदेश को 10 राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। ओरछा (Orchha) को सर्वश्रेष्ठ विरासत शहर व साँची को दिव्यांगजनों के मददगार पर्यटन स्थल की कैटेगरी में पहला पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार दिल्ली के विज्ञान भवन में हुए समारोह में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने प्रदान किये।

राष्ट्रीय मैथिलीशरण गुप्त सम्मान, 2018

- मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की ओर से राष्ट्रीय मैथिलीशरण गुप्त सम्मान, 2018 मंजूर एहतेशाम को देने की घोषणा की गई है। इस सम्मान को वर्ष 1987-88 से प्रारंभ किया गया था।

मध्य प्रदेश को बेस्ट स्टेट फॉर एडवेंचर टूरिज़्म अवार्ड

- हाल ही में मध्य प्रदेश को बेस्ट स्टेट फॉर एडवेंचर टूरिज़्म अवार्ड से सम्मानित किया गया, यह अवार्ड संयुक्त रूप से गोवा और मध्य प्रदेश को दिया गया।

विदुषी कलापनी कोमकली को श्री निवास सम्मान, 2019

- अप्रैल 2019 में शास्त्रीय गायिका विदुषी कलापनी कोमकली को श्री निवास जोशी सम्मान से विभूषित किया गया।

स्वच्छ शक्ति अवार्ड

- 12 फरवरी, 2019 को हरदा ज़िले के धनवाड़ा गाँव की महिला सरपंच लक्ष्मीबाई जाट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'स्वच्छ शक्ति अवार्ड' से सम्मानित किया।

मालवा उत्सव, 2019

- लोक कलाओं एवं संस्कृति पर आधारित 'मालवा उत्सव' 2 से 8 मई, 2019 के बीच लालबाग में आयोजित किया गया। इसमें 21 राज्यों के 400 से अधिक कलाकारों एवं 450 शिल्पियों ने भाग लिया, तो वहीं स्थानीय कलाकारों को भी अपना हुनर दिखाने को मौका मिला। ध्यातव्य है 18 वर्षों से इंदौर में मालवा उत्सव का आयोजन हो रहा है। इसमें मालवा की संस्कृति के साथ में देश के पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण के कलाकारों का संगम होता है।

भोपाल में संपन्न हुआ हाथी महोत्सव

- हाल ही में मध्य प्रदेश के उमरिया ज़िले में स्थित बांधवगढ़ टाइगर रिज़र्व हाथी महोत्सव संपन्न हुआ। महोत्सव में सबसे बुज़ुर्ग हाथी गौतम भी मौजूद था, जो वर्ष 1977 से बांधवगढ़ में अपने दूसरे साथी हाथियों को ट्रेनिंग दे रहा है। इसके अलावा 45 वर्षीय सबसे बुज़ुर्ग मादा हाथी अनारकली भी महोत्सव का हिस्सा थी।

शहीद भवन में बुंदेली समारोह

- अखिल भारतीय बुंदेलखंड साहित्य एवं संस्कृति परिषद के तत्त्वावधान में बुंदेली भाषा का राष्ट्रीय अधिवेशन और बुंदली समारोह, 2019 विभिन्न रंगारंग कार्यक्रमों के साथ 25 जून, 2019 को सुबह 10 बजे से शहीद भवन में आयोजित किया गया। इस मौके पर बुंदेलखंड के शौर्य का प्रदर्शन करने के लिये आल्हा-ऊदल के क्षेत्र महोबा-बांदा का नृत्य दल वीर रस के नृत्य और बुंदेली श्रृंगार नृत्य का प्रदर्शन रामसहाय पूनम सिंह के दल द्वारा किया गया। समारोह में बुंदेली का राष्ट्रीय कवि सम्मेलन और बुंदेली विमर्श अमृत महोत्सव एवं 'बुंदेलखंड में विद्यमान जात-पाँत' विषय पर संगोष्ठियाँ भी संपन्न हुईं।

मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018 परिणाम	
पार्टी	**कुल सीट**
बहुजन समाज पार्टी	2
भारतीय जनता पार्टी	109
कांग्रेस	114
समाजवादी पार्टी	1
निर्दलीय	4
कुल	230

दीपक सक्सेना बने प्रोटेम स्पीकर, राज्यपाल ने शपथ दिलाई

- छिंदवाड़ा के विधायक कांग्रेस दीपक सक्सेना को मध्य प्रदेश विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। राज्यपाल आंनदीबेन पटेल ने उन्हें राजभवन में प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ दिलाई। इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं उनके मंत्रिमंडल के कई मंत्री मौजूद थे। समारोह का संचालन विधानसभा के प्रमुख सचिव ने किया। दीपक सक्सेना छिंदवाड़ा सीट से चौथी बार विधायक बने हैं।

मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल		
क्र.सं.	**मंत्री का नाम**	**आवंटित विभाग**
1.	श्री कमलनाथ, मुख्यमंत्री	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, अप्रवासी भारतीय, अन्य विभाग जो किसी को आवंटित न हो।
2.	डॉ. विजयलक्ष्मी साधी	संस्कृति विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, आयुष विभाग।
3.	श्री सज्जन सिंह वर्मा	लोक निर्माण विभाग, पर्यावरण विभाग।
4.	श्री हुकुम सिंह कराड़ा	जल संसाधन विभाग।
5.	गोविंद सिंह	सामान्य प्रशासन, सहकारिता, संसदीय कार्य विभाग।
6.	श्री बाला बच्चन	गृह विभाग, जेल विभाग तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार, लोक सेवा प्रबंधन विभाग।
7.	श्री आरिफ अकील	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग।
8.	श्री बृजेंद्र सिंह राठौर	वाज्यिक कर विभाग।
9.	श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल	खनिज साधन विभाग।
10.	श्री लाखन सिंह यादव	पशुपालन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग।
11.	श्री तुलसीराम सिलावट	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्यण विभाग।
12.	श्री गोविन्द सिंह राजपूत	राजस्व, परिवहन विभाग।
13.	श्रीमती इमरती देवी	महिला एवं बाल विकास विभाग।
14.	श्री ओमकार सिंह मरकाम	जनजातीय कार्य, विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग।
15.	डॉ. प्रभुराम चौधरी	स्कूल शिक्षा विभाग।
16.	श्री प्रियव्रत सिंह	ऊर्जा विभाग
17.	श्री सुखदेव पांसे	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

18.	श्री उमंग सिंघार	वन विभाग।
19.	एडवोकेट हर्ष यादव	कुटीर एवं ग्रामोद्योग, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग।
20.	श्री जयवर्द्धन सिंह	नगरीय विकास एवं आवास विभाग।
21.	श्री जितू पटवारी	खेल एवं युवा कल्याण, उच्च शिक्षा विभाग।
22.	श्री कमलेश्वर पटेल	पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग।
23.	श्री लखन घनघोरिया	सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग।
24.	श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया (संजू भैया)	श्री विभाग।
25.	श्री पी.सी. शर्मा	विधि एवं विधायी कार्य विभाग, जनसंपर्क, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विमानन, धार्मिक न्याय एवं धर्मस्व विभाग, मुख्यमंत्री से संबद्ध।
26.	श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर	खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग।
27..	श्री सचिन सुभाष यादव	किसान कल्याण तथा कृषि विकास, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग।
28.	श्री सुरेंद्र सिंह बघेल	नर्मदा घाटी विकास, पर्यटन विभाग।
29.	श्री तरूण भनोत	वित्त, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग।

इंदिरा गृह ज्योति योजना

- मध्य प्रदेश में इंदिरा गृह ज्योंति योजना 1 अप्रैल, 2019 को आधिकारिक रूप से लागू की गई।

उद्देश्य

- इंदिरा गृह ज्योति योजना का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग विशेष रूप से गरीब परिवारों को बिजली सस्ते दामों में मुहैया कराना है ताकि बिजली के बिल का अतिरिक्त भार उन पर न आए।

लाभ

- इस योजना की घोषणा के दौरान मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कहा है कि योजना के अंगर्तत 100 यूनिट की बिजली उपयोग करने पर, उपभोक्ता को सिर्फ फ्लैट 100 रुपए बिजली का बिल देना होगा।

पौधा आपके द्वार योजना

- जून, 2019 में मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार के वन विभाग ने योजना पौधा आपके द्वार योजना शुरू की है। योजना के तहत वन विभाग में मांग पत्र देने पर आपको मात्र 10 रुपए पौधे के हिसाब से वन विभाग पौधा उपलब्ध कराएगा।

'मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना'

- मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के शहरी गरीब युवाओं के लिये 100 दिन का रोज़गार उपलब्ध कराने के लिये मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना की शुरूआत की है।

मुख्यमत्रीं मदद योजना

- मध्य प्रदेश सरकार ने 'मुख्यमंत्री मदद योजना' लांच की, इस योजना के तहत जनजातीय परिवार में बच्चे के जन्म तथा परिवार के सदस्य की मृत्यु पर सहायता प्रदान की जाएगी। ध्यातव्य है कि जनजातीय परिवार में लड़के अथवा लड़की के जन्म पर परिवार को 50 किलोग्राम गेहूँ तथा चावल दिये जाएंगे। परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु पर सरकार द्वारा 100 किलोग्राम गेहूँ अथवा चावल तथा पकाने के लिये बर्तन प्रदान किये जाएंगे।

लाडो अभियान

मध्य प्रदेश देश में प्रथम राज्य है, जिसके द्वारा बाल विवाह के रोकथाम हेतु 2013 में लाडो अभियान प्रारंभ किया गया। लाडो अभियान का मुख्य उद्देश्य- जनसमुदाय की मानसिकता में सकरात्मक बदलाव के साथ बाल विवाह जैसी कुरीति को सामुदायिक सहभागिता से समाप्त करना है।

मध्य प्रदेश : कृषिगत नवीनतम तथ्य

- गेहूँ: गेहूँ की पैदावार में मध्य प्रदेश का देश भर में चौथा स्थान है। पहले तीन स्थान पर क्रमश: उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा हरियाणा हैं।
- ज्वार: ज्वार उत्पादन में मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। पहले दो स्थान पर क्रमश: महाराष्ट्र तथा कर्नाटक हैं।
- दाल: दालों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देशभर में पहला स्थान है। द्वितीय तथा तृतीय स्थान पर क्रमश: उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र है।
- **कुल अनाज उत्पादन:** कुल अनाज उत्पादन में मध्य प्रदेश का दुसरा स्थान है। पहले दो स्थान पर क्रमश: उत्तर प्रदेश तथा पंजाब है।
- **सोयाबीन:** भारत में सोयाबीन के उत्पादन में मध्यप्रदेश पहले स्थान पर है जबकि महाराष्ट्र दूसरे ओर राजस्थान तीसरे स्थान पर है।
- **तिलहन:** भारत में सबसे ज़्यादा तिलहन मध्यप्रदेश में उत्पादित होता है, जबकि गुजरात दूसरे और राजस्थान तीसरे स्थान पर है।

भोपाल में स्थापित होगा भारत का पहला ई-कचरा क्लीनिक

- भोपाल नगर निगम (बीएमसी) और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भोपाल में देश का पहला ई-कचरा क्लिनिक स्थापित करने के लिये समझौता किया। यह क्लीनिक घेरलू और वाणिज्यिक दोनों इकाइयों से कचरे के पृथक्करण, प्रसंस्करण और निपटान में सक्षम होगा।

खुज़राहों रेलवे स्टेशन को मिला प्रमाणपत्र

- सितंबर 2019 में इंटरनेशलन एक्यूरेट सर्टिफिकेशन संस्थान द्वारा झाँसी मंडल के खुजराहों स्टेशन को ISO-14001-2015 प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया। यह प्रमाण पत्र अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के लिये अंतर्राष्ट्रीय पहचान पत्र 20 सिंतबर 2019 को दिया गया।